बुधवार,
३ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेडियो के लाइसेंस

*८७४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहिली सितम्बर, १९५२ को उन स्थानों की संख्या कितनी है जहां पर रेडियो प्रयोग के लिये लाइसेंस दिये गये; तथा

(ख) क्या घरों तथा औद्योगिक स्थानों के लिये पृथक् पृथक् आंकड़े हैं ?

संचरण उप-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७,०१,६३८ ।

(ख) घरों में प्रयोग के लिये दिये गये लाइसेंसों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध हैं किन्तु औद्योगिक स्थानों के लिये दिये गये लाइसेंसों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस वर्ष बिना लाइसेंस वाले जिन स्थानों का पता लगा था उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री राज बहादुर : उस के लिये मुझे पृथक् पूर्व सूचना चाहिये । किन्तु मैं समझता हूं कि मैंने यह सूचना गत सत्र में दे दी थी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार के पास विभिन्न कार्यक्रमों को सुनने वाले व्यक्तियों की सापेक्ष संख्या के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सूचना है ?

श्री राज बहादुर : यह बात तो राज्य सरकारों से पूछनी चाहिये ।

श्री वीरस्वामी : मद्रास राज्य में जनता के लिये कितने रेडियो लगाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं राज्य वार आंकड़े नहीं बता सकता, किन्तु पूरे देश में ऐसे ६,२७१ रेडियो हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आल इंडिया रेडियो में कोई श्रोता अनुसन्धान विभाग भी है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न तो मेरे माननीय कार्यबन्धु सूचना तथा प्रसारण मन्त्री से किया जाना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार हमें बिना लाइसेंस वाले रेडियो की संख्या में वृद्धि अथवा कमी के सम्बन्ध में कुछ बता सकती है ?

श्री राज बहादुर : इस विषय पर पहिले भी पृथक् प्रश्न पूछे जा चुके हैं । इस प्रश्न के लिये मुझे पृथक् पूर्वसूचना चाहिये ।

बेरोज़गार ग्रेजुएट तथा मैट्रिकुलेट

*८७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्रम मन्त्री इस समय विभिन्न सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध बेरोज़गार ग्रेज्युएट तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि) : अक्तूबर, १९५२ के अन्त में विभिन्न सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध बेरोज़गार ग्रेज्युएट व्यक्तियों की संख्या १६,०५५ थी तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों की संख्या १,१०,४४३ थी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का देश में शिक्षित नवयुवकों में बढ़ती हुई बेकारी की इस संख्या को रोकने का कोई विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : निस्सन्देह, यह बात सदैव सरकार के समक्ष रहती है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान् जी, वे कौन सी बातें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने बतलाया कि यह मामला सदैव सरकार के समक्ष रहता है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिन के द्वारा सरकार इस पर नियन्त्रण करेगी ।

श्री वी० वी० गिरि : चूंकि बहुत से सदस्य खड़े हुए, इसलिये मैं नहीं जानता था.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न फिर पूछ सकते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का देश में शिक्षित नवयुवकों में बढ़ती हुई बेकारी की इस संख्या को रोकने का कोई विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस सम्बन्ध में योजना आयोग कार्य कर रहा है, और इसके अतिरिक्त नये उद्योग आरम्भ किये जा रहे हैं; तथा बेरोज़गारी को कम करने के लिये अन्य बहुत से कार्य किये जाने हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इस बात को जानने के लिये कि अशिक्षित व्यक्तियों विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों में कितनी बेरोज़गारी है, क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है, और यदि ऐसा नहीं है तो क्या सरकार का ऐसी व्यवस्था करने का कोई विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? यह प्रश्न तो बेरोज़गार ग्रेज्युएट तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों के विषय में है । माननीय सदस्य उन व्यक्तियों के विषय में जानना चाहते हैं जो न तो ग्रेज्युएट हैं और न मैट्रिकुलेट हैं, और जो शिक्षित भी नहीं हैं यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सेवा योजनालयों से कृषि सम्बन्धी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये भी कोई मांग की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : कितने कृषि सम्बन्धी काम करने वाले व्यक्ति ?

श्री वी० वी० गिरि : पूर्वसूचना, श्रीमान् जी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या हम पंजीबद्ध इन बेरोज़गार ग्रेज्युएट तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों तथा नौकरी प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के बीच अनुपात को जान सकते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं उन आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा हूं और मैं उन्हें सदन के लाभार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : कुछ महीने पूर्व बेरोज़गारी के सम्बन्ध में भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त ने बम्बई में कुछ आंकड़े बताये थे। और उन के द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार मई, १९५२ के अन्त तक सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध ३६६,५९६ बेरोज़गार व्यक्तियों में से १४,८२८ ग्रेज्युएट थे। और इन ग्रेज्युएटों में ५६३ के पास इंजीनियरिंग की उपाधियां थीं तथा १,२२३ के पास मेडिकल उपाधियां थीं। क्या सरकार के पास विशेष रूप से इन इंजीनियरिंग तथा मेडिकल ग्रेज्युएटों को काम में लगाने की योजना है जिन्हें कि सभी प्रकार की राष्ट्र-निर्माण सेवाओं में, जिनका हम विकास करना चाहते हैं, लिया जा सकता है ?

श्री वी० वी० गिरि : हां, उन पर विचार किया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार के लिये कृषि सम्बन्धी काम करने वालों की दशा सुधारना सम्भव होगा जिस से कि अधिकाधिक शिक्षित नवयुवक कृषि कार्य कर सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार बेरोज़गार ग्रेज्युएट तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों की कुल संख्या तथा इन व्यक्तियों में से उनका अनुपात जान सकती है जो सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध किये जाने के लिये लिखते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि मैंने यह सूचना दे दी है। किन्तु यदि आप इसे प्रान्त वार जानना चाहते हैं तो मैं बाद में उसे सदन में प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री नानादास : इन बेरोज़गार ग्रेज्युएट तथा मैट्रिकुलेट व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा सरकार ने इन अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नौकरी में लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसी राज्य से कोई रिपोर्ट मिली है कि इन सेवा योजनालयों को चालू रखना लाभप्रद नहीं है तथा इन्हें बन्द कर देना चाहिये ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री बहादुर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध उम्मीदवारों को परिचय पत्र देने में इन योजनालयों का कोई विकल्प होता है ?

श्री वी० वी० गिरि : इनका कोई विकल्प नहीं होता ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विदेशों से फोरमैन की योग्यता वाले विशेषज्ञों को बुलाने की इन इंजीनियरों को काम पर लगाने की सम्भावना को मालूम कर लिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह बात सदा ही सरकार के सामने रहती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को किसी स्थान से सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध व्यक्तियों को योजनालय अधिकारियों द्वारा परिचय पत्र न देने में उन के प्रयुक्त स्वविवेक के सम्बन्ध में शिकायत मिली है ?

श्री वी० वी० गिरि : कभी कभी ये शिकायतें मिलती हैं, किन्तु हमेशा नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, श्रीमान् ।

श्री अच्युतन : बेरोज़गार ग्रेज्युएटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का राज्य सरकारों को आर्ट्स कालेजों की संख्या को कुछ वर्षों तक और अधिक न बढ़ने देने के विषय में कहने का कोई विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : आप इस बात को किसी अन्य मन्त्रालय से पूछ सकते हैं ।

कपास की खेती

*८७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या माननीय **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री कपास की खेती के सम्बन्ध में २३ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०१ के अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कपास की खेती के लिये कितने एकड भूमि विकषित की गई ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : बहुत अधिक विस्तृत रूप से भू-परिमापन किये जाने के कारण, इस सम्बन्ध में कि १९५१-५२ में अनाज पैदा करने वाली कितनी भूमि को कपास की खेती के लिये विकषित किया गया, कोई निश्चित अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, मोटे तौर पर यह अनुमांन लगाया जाता है कि १९५१-५२ में अनाज पैदा करने वाली भूमि का अधिकतम विकर्षण ३·१७ लाख एकड़ हो सकता है । यथार्थ में, वास्तविक विकर्षण काफ़ी कम हो सकता है क्योंकि उपरोक्त अनुमानित आंकड़े इस चरम धारणा पर आधारित हैं कि कपास की खेती के लिये जितनी एकड़ भूमि की वृद्धि की गई थी उसमें केवल ऐसी भूमि मिलाई गई थी जिस में अनाज पैदा किया जाता था और इसमें ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं की गई थी जिस में अन्य फस्लें पैदा की जाती थीं अथवा जो भूमि बंजर थी, और न उसमें बारी बारी से फस्लें पैदा की जाती थीं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि हमारी कपास की कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग आन्तरिक उत्पादन से पूरा किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह अस्सी प्रतिशत तक हो सकता है ।

डा० राम सुभग सिंह : कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिस से कि कपास के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कपास की खेती और अधिक एकड़ भूमि में की जायगी जिस से कि भारत कपास के मामले में आत्म निर्भर हो सके ।

डा० पी० एस० देशमुख : हम उतनी ही एकड़ भूमि में अधिक उत्पादन के लिये घनी खेती करने पर अधिक निर्भर करते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यहां पैदा की कपास के मूल्यों तथा विदेशों से खरीदी गई कपास के मूल्यों में अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, इन में बहुत अधिक अन्तर है ।

डा० राम सुभग सिंह : दोनों मूल्यों में कितना अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह उसकी भिन्न भिन्न किस्मों पर निर्भर करता है । यह बताना कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम दूसरे विषय को ले रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : १९५१-५२ के उत्पादन के अन्तिम आंकड़े कितने हैं तथा १९४७-४८ से कितनी अधिक वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५१-५२ के हमारे पास पुनरीक्षित आंकड़े हैं और इसके आंकड़े ३६ लाख गांठें हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह १९४७-४८ के तुलनात्मक आंकड़े भी चाहते हैं ।

डा० पी० एस०देशमुख : मैं समझता हूं कि ये आंकड़े इस से दुगने हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या कपास की सिंचाई के क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत अधिक नहीं, किन्तु ऐसे बहुत अधिक व्यक्ति हैं जो कि कपास की खेती वाली भूमि की सिंचाई के लिये बहुत अधिक उत्सुक हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कपास के लिये एक संरक्षित क्षेत्र रखने के लिये कहा है ?

श्री पी० एस० देशमुख : यह तो राज्य सरकारों का मामला है । जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है सरकार इस के सम्बन्ध में कार्य कर रही है ।

श्री केलप्पन : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि हम रूई तथा सूत के धागे का निर्यात कर रहे हैं, क्या इस से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हम इनका अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं ?

श्री पी० एस० देशमुख : एक विशेष किस्म, अर्थात् छोटे रेशे वाली रूई का ही अधिक उत्पादन कर रहे हैं ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या कपास की खेती के लिये किये गये भूमि विकर्षण के कारणें अनाज की खेती में कमी हो गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका तो उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है ।

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ थोड़ी सीमा तक, जैसा कि मैं ने बताया है ।

सरदार लाल सिंह : माननीय मन्त्री ने कहा कि मूल्यों में अन्तर किस्मों के कारण है.....

डा० पी० एस० देशमुख : यह मैंने कभी नहीं कहा । मैंने यह तो नहीं कहा था कि मूल्यों में अन्तर किस्मों के कारण था । मैंने कहा था कि कई तरह की किस्में हैं और उन के मूल्य के अन्तर को बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस से तो हम इस बात के विस्ताार में पड़ जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध कपास की खेती से है । यहां उसके मूल्य का क्या प्रश्न है ?

सरदार लाल सिंह : कपास की खेती कपास के लिए दिये गये मूल्य पर निर्भर करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश भेजे हैं जिसमें उस ने यह कहा है कि जहां तक सम्भव हो अनाज पैदा करने वाली भमि का कपास के खेती के लिये विकर्षण करने की अनुमति न दें ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं किन्तु राज्य सरकारों को भारत सरकार की नीति मालूम है ।

वनस्पति अनुसंधान योजना समिति की रिपोर्ट

*८७७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति अनुसन्धान योजना समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो स्वीकार तथा अस्वीकार की गई महत्वपूर्ण सिपारिशें कौन सं

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) उस की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। फिर भी, समिति ने अपनी अनुसन्धान के परिणामों को भेज दिया है और सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ।

(ख) समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये थे :

(१) कच्ची मूंगफली के तेल, परिष्कृत मूंगफली का तेल तथा ३७ डिग्री सेंटीग्रेड और ४१ डिग्री सेंटीग्रेड द्रवणांश के वनस्पति के आहार पर विभिन्न केन्द्रों में चूहों पर तीन पीढ़ी तक तुलनात्मक प्रयोग किये गये । प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि कच्चे अथवा परिष्कृत तेल की तुलना में वनस्पति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(२) चार विभिन्न केन्द्रों में मनुष्यों को खिला कर किये गये प्रयोग से भी यह पता चलता है कि कच्ची मूंगफली के तेल की तुलना में ३७ डिग्री सेंडीग्रेड द्रवणांश के वनस्पति का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।

(३) जहां तक (१) घी; (२) कच्ची मंगफली का तेल, (३) परिष्कृत मूंगफली का तेल (४) ३७ डिग्री सेंटीग्रेड द्रवणांश वनस्पति तथा (५) ४१ डिग्री सेंटीग्रेड द्रवणांश वनस्पति के तुलनात्मक पोषक तत्वों का सम्बन्ध है, घी सर्वोत्तम है, कच्ची मूंगफली का तेल, परिष्कृत मूंगफली का तेल तथा ३७ डिग्री सेंटीग्रेड द्रवणांश वनस्पति शुद्ध घी के बाद आते हैं । और ४१ डिग्री द्रवणांश वनस्पति तीसरे नम्बर पर आता है ।

भारत सरकार ने समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है तथा वनस्पति तेल पदार्थ नियन्त्रण आदेश, १९४७ के अन्तर्गत ३७ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक द्रवणांश के वनस्पति का उत्पादन निषिद्ध कर दिया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी अथवा यह बहुत समय तक कार्य करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह समिति पर निर्भर करेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन केन्द्रों को जान सकता हूं, जहां पर ये प्रयोग किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास वह सूचना यहां नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : १९४७ में जब यह समिति नियुक्त की गई थी, तब क्या सरकार का विचार इसे अधिक समय तक जारी रखने का था अथवा इसके लिये कोई विशेष समय निश्चित किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई विशेष समय निश्चित नहीं किया गया था । सरकार उस समिति के परामर्श से यह निश्चय करेगी कि यह अपना कार्य कब समाप्त करे ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रयोजन के लिए कुछ व्यय किया गया है ? यदि ऐसा है तो वह कितना धन था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नाम-धारी : क्षय रोग के बीमारों की संख्या को कम करने तथा दुर्बल संतति की उत्पत्ति की आशंका को समाप्त करने की दृष्टि से क्या सरकार वनस्पति घी के प्रयोग को बढ़ावा न देने पर विचार करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : वैज्ञानिक अनुसंधान से यह मालूम हुआ है कि इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है, इस बात को

दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि वनस्पति घी के प्रयोग को बढ़ावा न देने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसंधान समिति के निष्कर्ष दूसरे देशों के निष्कर्षों के समान हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । इस समिति के निष्कर्ष दूसरे देशों के निष्कर्षों के समान ही हैं । मैं समझता हूं कि यही प्रश्न था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने अनुसंधान स्वतंत्र रूप से की अथवा विभिन्न देशों में जो परिणाम उपलब्ध हुए वे उन्हें बता दिये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन पर अन्य स्थानों पर किये गये अनुसंधानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । वे अपने अनुसंधानों पर निर्भर रहते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इसके कौन-कौन सदस्य थे ? क्या इसमें कोई विदेशी विशेषज्ञ था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है जिससे मैं इसका उत्तर दे सकूं ।

डाक खाने के खजाने का ठेकेदार

*८७८. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक खाने के खज़ाने के ठेकेदार के एजेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने सितम्बर १९४८ से जनवरी १९५० के बीच सरकार के १,०३,५०० रुपये जमा नहीं किये थे ?

(ख) इम्पीरियल बैंक के किन किन अधिकारियों के विषय में यह पता लगा कि उपरोक्त मामले में उनका हाथ था ?

(ग) पोस्ट मास्टर तथा अन्य अधिकारियों, जिनका उसमें हाथ था, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या इस बात की कोई सम्भावना है कि सरकार के धन का कुछ भाग वापिस मिल सके ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इलाहाबाद में एक विशेष न्यायालय में एजेन्ट पर मुकदमा चल रहा है ।

(ख) लेखा परीक्षा विभाग के अधीक्षक तथा डाक खाने के लेखापाल के विरुद्ध यह संदेह किया जाता है कि उन्होंने यह अपराध-कार्य किया है तथा उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । दो अधिकारी, जो वहां पोस्ट मास्टर के रूप में कार्य कर चुके थे, अपने कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा करने के कारण दोषी पाये गये । इम्पीरियल बैंक के किसी अपराधी का इस अपराध कार्य में कोई हाथ नहीं था ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित अधीक्षक तथा लेखापाल मुअत्तिल हैं । दोनों में से एक पोस्ट मास्टर को निचले पद पर कर दिया गया तथा दूसरे जिसे उस समय से सेवा-निवृत्त कर दिया गया है, के विवृत्ति-वेतन को कम करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । अन्य अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद कार्यवाही की जायगी ।

(घ) जी हां ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि कितना धन वापिस मिल गया है ?

श्री राज बहादुर : ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को २० प्रतिशत जमा करना पड़ता है । इस मामले में यह ३३,५०० रुपये हैं जोकि

ज़ब्त कर लिये गये हैं और ठेके के अनुसार ठेकेदार सरकार की पूण क्षतिपूर्ति करने के लिये वाध्य है। हम शेष धन को वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा इस विषय में नियम न होने के कारण अथवा उनका पालन न करने के कारण हुआ ?

श्री राज बहादुर : ऐसा नियम न होने के कारण नहीं हुआ, अपितु नियमों के पालन में शिथिलता के कारण हुआ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या ये नियम समुचित रूप में हैं ?

श्री राज बहादुर : ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये इन नियमों के प्रभाव के विषय में समय समय पर सदैव विचार किया जाता है और इस मुकदमे का परिणाम मालूम हो जाने पर इन पर पुनर्विचार किया जायगा।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रतिभू के धन तथा उस धन में, जिसका ये लोग लेन देन करते हैं, क्या सम्बन्ध है ?

श्री राज बहादुर : डाक खाने में दैनिक लेन देन के औसत का २० प्रतिशत।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या विभाग द्वारा जांच पड़ताल किये जाने के परिणाम स्वरूप, कोई अधिकारी, जिसे अधीक्षण कार्य सोंपा गया था, कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हुए पाया गया था ?

श्री राज बहादुर : मैं ने इस प्रश्न का पहिले ही उत्तर दे दिया है। यह उसके मुख्य उत्तर में है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह प्रश्न कितने समय विचाराधीन था ?

श्री राज बहादुर : यह अप्रैल १९४९ के लगभग पता लगा और इसकी छानबीन के लिये स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट को सोंपा गया था। अब यह मामला एक विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

भारत को चीन की भेंट

*८७९. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पीड़ितों की सहायता के लिये चीन की कुछ भेंट प्राप्त हुई थी और जिन्हें बाद में लौटा दिया गया था;

(ख) यदि ऐसा है, तो किन परिस्थितियों के कारण उन भेंटों को लौटाया गया था; तथा

(ग) वे भेंट किस के द्वारा प्राप्त हुई थीं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णा) : (क) से (ग) तक। १९ अगस्त १९५२ को कलकत्ता स्थित बैंक आफ़ चाइना ने दिल्ली की रेड क्रास सोसाइटी को सूचित किया कि उसे भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी के लिये चीन के जन-सहायक प्रशासन, चीन की रेड-क्रास सोसाइटी, आल चाइना डेमोक्रेटिक यूथ्स फ़ेड्रेशन, आल चाइना डेमोक्रेटिक विमन्स फ़ेड्रेशन तथा आल चाइना फ़ेड्रेशन आफ़ लेबर से ४,२१,९४० रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देने वालों की ओर से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के पास एक तार आया जिसमें उससे यह कहा गया था कि वह उस धन को आंध्र प्रान्तीय संयुक्त दुर्भिक्ष सहायता समिति को दे दे, जिस की अपील पर वह धन दिया गया था। जबकि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने उस धन प्राप्ति के लिये धन्यवाद भेजा उसने उन दाताओं को सूचित किया भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की प्रथा यह है कि वह सहायता कार्यों को

अपनी एजेन्सियों द्वारा ही करती है और इसलिये वह धन आंध्र प्रान्तीय दुर्भिक्ष सहायता समिति को नहीं दिया जा सकता। इस पर धन भेजने वालों ने भारतीय रेड क्रास सोसाइटी से उस धन को नई दिल्ली के चीनी दूतावास द्वारा उन्हें वापिस भेज देने की प्रार्थना की, और उन की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी।

२. १८ सितम्बर १९५२ को चीन के निसृष्टार्थ ने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को सूचित किया कि उसकी सरकार ने उसे भारत सरकार को यह सूचित करने के लिये कहा है कि चीनी संस्थाओं ने उस धन को दक्षिण भारत में दुर्भिक्ष सहायता के लिये भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को देने का निश्चय किया है। उसने वह धन स्वास्थ्य मन्त्री को जो कि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, भेज भी दिया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उत्तर में जो सिद्धांत संस्थापित किया गया है वह यह है कि विदेशों से जो भी भेंट प्राप्त हों उन्हें गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा नहीं दिया जा सकता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि भारत में अमेरिका की भेंट शरणार्थियों में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कैसे बांटी जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अमेरिका की भेंट सरकारी एजेंसियों तथा रेड क्रास द्वारा बांटी जाती हैं, वह अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं बांटी जाती हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं। कलकत्ता में ऐसी संस्थायें हैं जो अमेरिका की दी हुई भेंट को शरणार्थियों में बांट रही है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं। केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएं तथा सरकारी एजेंसियां ही भारत में विदेशों से भेंट स्वरूप प्राप्त खाद्य पदार्थों को बांटती हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कलकत्ता की रोटरी क्लब में ऐसी तस्वीरें निकाली गई हैं जिन में...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। क्या हम तर्क कर रहे हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सूचना गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष खड़े हों तब किसी अन्य सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये। माननीय मन्त्री ने बताया है कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कुछ वितरण कार्य कर रहा है, प्रथमतः वह सरकार अथवा रेड क्रास का एजेन्ट है, जिसे वह कार्य सौंपा गया है। माननीय मन्त्री ने जो कहा है वह यह है कि अमेरिकनों तथा किसी व्यक्ति के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ये भेंटें केवल इन्हीं एजेंसियों द्वारा ही बांटी जाती हैं। फिर भी यदि, माननीय सदस्य वाद विवाद करना चाहते हैं तो उस के लिये यह स्थान नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उदाहरणार्थ, क्या कलकत्ता की रोटरी क्लब सरकार की एजेन्सी है अथवा एक ऐसी संस्था है जिससे रेड क्रास सोसाइटी काम लेती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : विदेशों से हमें भेंट स्वरूप जितने भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं वे सरकारी एजेंसियों तथा रेड क्रौस राम-कृष्ण मिशन, तथा भारत की अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसी संस्थाओं द्वारा बांटे जा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, सूचना प्रश्न के हेतु मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसा उन्हीं भेंटों के मामले में होता है

जो सरकार को मिलती हैं अथवा किन्हीं और भेंटों के मामले में भी होता है जोकि विदेशों से गैर-सरकारी संस्थाओं को सीधे ही आती हैं।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): राजनैतिक दल ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे भारत की मान्यता प्राप्त सहायक संस्थाओं को सरकार द्वारा भेजी जाती हैं। उन्हें व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न वे उन्हें बांट सकते हैं, ऐसा केवल सरकार अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम जान सकते हैं कि अखिल भारतीय महिला संघ कलकत्ते में अमेरिका की भेंट को शरणार्थियों में कैसे बांटती रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वितरण कार्य में रेड क्रास सोसाइटी अन्य संस्थाओं की सहायता ले सकती है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इस बात का खण्डन कर सकती है कि उन सहायता संस्थाओं को, जिनमें कांग्रेस जन अधिक नहीं हैं, सहायता देने के लिए मान्यता कभी नहीं दी जाती ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा मैसूर राज्य में इन भेंटों के किसी भाग को मज़दूरी के रूप में बांटा जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं। मैसूर में बांटी जाने वाली भेंटों के सम्बन्ध में, मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य को इस बात का कुछ सन्देह है कि मैसूर में सरकार इन बांटी जाने वाली भेंटों के बदले में काम लेती है। वास्तविक बात यह है मैसूर में ऐसे आदमी हैं जो इन बांटी जाने वाली भेंटों को स्वीकार करना अपने सम्मान के विरुद्ध समझते हैं। पिछले चार वर्षों में लगातार वर्षा न होने के कारण ये लोग कष्ट में हैं। कुछ गावों में तो मध्यवर्ग के लोग भी कष्ट में हैं। वे इन दया-स्वरूप दी जाने वाली भेंटों के रूप में सहायता नहीं लेना चाहते। वे सामुदायिक योजनाओं में अथवा सामान्य कार्यों यथा जलाशयों की सफाई करना, गावों तक सड़कें बनाना आदि कार्यों में काम करने के लिए तैयार हैं। वे काम करने को हैं और उसके बदले खाना लेने को तैयार हैं ; इन दयास्वरूप अंशदान को लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री नम्बियार : कुछ और अधिक सूचना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न : पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय।

कुमारी आनी मस्करीन : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु, जब प्रश्नकर्त्ता यह समझता है कि प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह ठीक नहीं है क्या उसका कोई प्रतिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि और अधिक प्रश्न पूछना कोई प्रतिकार नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, एक प्रश्न और।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिए कहा है।

श्री रघवय्या : इसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

फस्लों का उगाना तथा उत्पादन

***८८०. पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पूरे भारत में चावल, गेहूं, चने, गन्ने, आलू, अरहर, मूंगफली, सरसों, अलसी, कपास, पटसन, चाय, काफी, तथा तम्बाकू की खेती तथा उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

(ख) रबी तथा खरीफ़ फस्लों के फस्ल आंकड़े किस समय तक अन्तिम रूप से तैयार कर लिए जायेंगे तथा प्रकाशित कर दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देश मुख) : (क) विवरण संख्या १, जिसमें उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) विवरण संख्या २, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [(क) तथा (ख), **देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३**]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या चावल, गेहूं, चना, मूंगफली, अलसी तथा तम्बाकू के आंकडों में जो कमी हुई है, उसकी पुष्टि वास्तविक उत्पादन से होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत प्रकार से इसकी पुष्टि होती है । इसमें कमी सामान्य रूप से विपरीत जलवायु की दशाओं तथा मौसम की दशाओं के कारण हुई है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या फस्लों को, उनके बोये जाने के तीन या छः मास पूर्व प्रायः यथार्थ अनुमान लगाना सम्भव है, और यदि ऐसा है, तो ऐसी कौनसी एजेंसी है जो यह सूचना देती है कि क्या उत्पन्न होने वाला है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है ?

डा० पी० एस० देश मुख : आखिर अनुमान तो अनुमान ही रहेगा । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आंकड़े ठीक हों । हमें राज्य सरकारों द्वारा रखी गई एजेंसियों पर निर्भर करना पड़ता है ।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : मैं उस सिद्धान्त को जानना चाहता हूं जिसके अनुसार यह आंकड़े तैयार किये जाते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : ये गांव के अधिकारियों द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं । मैं नहीं जानता कि इसके लिए कोई सिद्धान्त हो सकता है ।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : क्या पटवारी ही यह सब सूचना देता है अथवा कोई अन्य अधिकारी देता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिए ।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या उन अधिकारियों का, जो इन आंकड़ों को बताते हैं, उन आंकड़ों की भविष्य के पथ प्रदशनार्थि वास्तविक आंकड़ों से तुलना करने के निमित्त कोई सामयिक सम्मेलन होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पता नहीं ।

ग्योनखाली का डौकयार्ड

***८८१. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता डौक से ३० मील पर ग्योनखाली में हुगली में डौकयार्ड बनवाने तथा वहां पर नमक बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की पश्चिमी बंगाल की सरकार की योजना कहां तक कार्यान्वित की गई है ?

(ख) ग्योनखाली से कोलाघाट रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) कितनी दूर है ?

(ग) यदि कोलाघाट तथा ग्योनखाली के बीच रेल चला दी जाये उससे कोयले के यातायात का गतिरोध कितनी सीमा तक दूर हो जायेगा ?

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग को कोई सूचना या प्रस्ताव भेजा है ?

(ङ) यदि ऐसा नहीं है, तो इन योजनाओं की योजना आयोग के समक्ष कब आने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर ग्योनखाली के बन्दरगाह के विकास के प्रश्न पर १९४९ तथा १९५२ के आरम्भ में विचार किया गया था। उस प्रस्ताव पर और कोई कार्य नहीं किया गया।

भारत सरकार को ग्योनखाली में नमक बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव का पता नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार ग्योनखाने से लगभग ४० मील दूर कोनटाई में नमक बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है।

(ख) २५ मील।

(ग) क्योंकि निर्यात के लिए कोयले की अधिक मात्रा को अब भी बर्दवान होकर कलकत्ता ले जाया जायेगा, इसलिए रेलवे यातायात पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

(घ) तथा (ङ). योजना आयोग को इस विषय की कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता बन्दरगाह अधिकारी भी ग्योनखाली में सहायक बन्दरगाह बनाने का विचार कर रहे हैं, और यदि ऐसा है, तो वे इस कार्य में कहां तक आगे बढ़े हैं ?

श्री अलगेशन : सरकार ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है। इस मामले में बन्दरगाह आयुक्तों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। ग्योनखाली में इस समय बन्दरगाह बनाने में कोई औचित्य नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि कोलाघाट अथवा भोगपुर या मचदा से ग्योनखाली को रेलवे लाइन न बनाकर सरकार कलकत्ता बन्दरगाह में बहुत अधिक इकट्ठे कोयले की मात्रा को वहां से हटाने का क्या प्रयत्न कर रही है ? वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है ?

श्री अलगेशन : कोयले के यातायात के लिए कलकत्ता बन्दरगाह म इस समय पर्याप्त सुविधायें हैं। इस समय कोयले के यातयात के लिए ८ बर्थें हैं। हाल ही में दो मील ढोने की (कार्गो) बर्थों को कोयला बर्थों में परिवर्तित कर दिया गया है। और कलकत्ता बन्दरगाह में प्रतिदिन १२,००० टन तक यातायात किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को कोयला उपभोक्ता संघ के श्री डी० सी० ड्राइवर द्वारा सभापति पद से दिये गये भाषण का पता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्योनखाली के पास एक विदेशी फर्म एक शिपयार्ड स्थापित करने वाला है ?

श्री अलगेशन : कुछ विशेषज्ञों ने भी ग्योनखाली के मामले का विचार किया है, किन्तु उनकी यह सम्मति थी कि विशाखापटनम् अधिक उपयुक्त स्थान है।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या किसी विदेशी फर्म ने ऐसा बन्दरगाह बनाने के लिए भारत सरकार अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत की है ?

श्री अलगशन : इस विषय की मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या सरकार इस विषय पर कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों की नवीनतम रिपोर्ट सदन पटल पर रखेगी ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य की यह इच्छा है तो यह सदन पटल पर रखी जा सकती है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम संक्षेप में यह जान सकते हैं कि आयुक्तों की, इसकी कलकत्ता बन्दरगाह के ठीक विकास तथा एकीकरण के लिए आवश्यकता के सम्बन्ध में नवीनतम सिफ़ारिश क्या थी ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस विषय की विस्तृत सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि ग्योनखाली में तेल साफ करने का एक कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव था ।

श्री अलगेशन : जी हां । उस पर भी विचार किया गया था, तथा मैसर्स काल्टेक्स लिमिटेड ने तेल साफ करने का कारखाना स्थापित करने के लिए विशाखापटनम बन्दरगाह को चुना है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार ने ग्योनखाली योजना को कार्यान्वित करने की वांछनीयता पर विचार किया है, क्योंकि इससे शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य में पर्याप्त सहायता मिलेगी ?

श्री अलगेशन : यह योजना कई प्रकार से उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहां पर लंगर पर ठहरने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है और सभी जहाजों को डाक्स पर जाना पड़ेगा जिस से पायलेट, रस्से (टग्स) आदि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी जो एक बन्दरगाह की पूरी स्थापना हो जायेगी । यह भी अनुमान लगाया गया था कि नये बन्दरगाह में प्रतिवर्ष ८०,००० टन तक के माल लाने, ले जाने का काम हो सकता है और इस कारण आर्थिक दृष्टि से यह सुविधाजनक प्रस्ताव नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह सत्य है कि भारतीय जहाजों के मालिकों ने भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि कलकत्ता में बहुत अधिक माल इकट्ठा रहता है तथा और अधिक कोयले की बर्थें दी जानी चाहियें ?

श्री अलगेशन : मैंने इस का उत्तर पहिले ही दे दिया है ।

नलकूपों (ट्यूब वैल्स) द्वारा सिंचाई की योजना

*८८२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कहने पर चलाई गई नलकूपों द्वारा सिंचाई योजना के अनुसार अबतक कितने नलकप बनाये गये हैं ;

(ख) उन नलकूपों की संख्या कितनी है जिनका कि भारत के विभिन्न भागों में (राज्यवार) बनाने का विचार है ;

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो कि नलकूप बना रहे हैं ;

(घ) इन योजनाओं को पूरा होने में कितना समय लगेगा ; तथा

(ङ) इस योजना के लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३७८ ।

(ख) १. उत्तर प्रदेश – १२४५.
२. बिहार – ६२०.
३. पंजाब – ५०५.
४. पेप्सू – ३००.
कुल योग .. २६७०.

ये मैसर्स असोशियेटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में अभी जो ५९५ नलकूप बनाये जाने हैं उनके तथा नेशनल ट्यूब वेल्स लिमिटेड द्वारा बम्बई में जो ३९२ कुएं बनाये जायेंगे उनके अतिरिक्त हैं।

(ग) १. मैसर्स असोशियेटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में ९६५ कुएं (४४०, ३०० तथा २२५ कुएं क्रमशः)।

२. मैसर्स नेशनल ट्यूब वेल्स लिमिटेड।

बम्बई में ४०० कुएं।

३. मैसर्स जर्मन वाटर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

उत्तर प्रदेश में ५०० कुएं।

शेष कुओं के विषय में अभी तक अन्तिम रूप से प्रबन्ध नहीं हुए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में ४४० नलकूपों, बिहार में ३०० नलकूपों पंजाब में २२५ नलकूपों तथा बम्बई में ४०० नलकूपों की योजनायें निर्धारित समय के अनुसार ३१ मार्च, १९५३ तक पूरी हो जायेंगी। जर्मन वाटर डवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ५०० कुएं बनाए जायेंगे उनका निर्माण कार्य आरम्भ होने से दो वर्ष के अन्दर अर्थात् मार्च, १९५५ तक बन जाने की आशा है।

(ङ) असोशियेटेड ट्यूब वेल्स तथा नेशनल ट्यूब वेल्स द्वारा लिये गये ठेकों के लिये समबद्ध राज्य सरकारों को अब तक कुल ३५०.२५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बताई गई ठेके लेने वाली कम्पनियों में से कितनी विदेशी हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक जर्मन वाटर डवलपमेंट कार्पोरेशन का सम्बन्ध है, यद्यपि ठेका लेने वाला यह फर्म विदेशी है, इसमें कुछ भारतीय भी हैं, और यह एक भारतीय कम्पनी के द्वारा कार्य कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपने उत्तर को जरा जोर से दुहरायें क्योंकि कई माननीय सदस्य उसे सुन नहीं सके हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : इन सब कम्पनियों के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है, किन्तु मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि जर्मन वाटर डवलपमेंट कार्पोरेशन यहां एक भारतीय कम्पनी के द्वारा काम कर रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : कितने भारतीय ठेकेदारों ने आवेदन पत्र दिये, और कितनों को मना कर दिया गया है।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो ट्यूब बेल्स लगाये गये हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो पैट्रोल और डीजल आयल से चलते हैं और कितने ऐसे हैं जो बिजली से चलते हैं और उनकी कीमतों में कितना अन्तर है।

डा० पी० एस० देशमुख : यह इन्फार्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं है।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि जिस फर्म को बम्बई में उत्तर गुजरात में नलकूपों के बनाने का ठेका दिया गया है उसने किसी अन्य को फिर ठेके पर उठा दिया है, और यदि ऐसा है, तो इसे फिर से ठेके पर उठा देने के कारण इस फर्म को कितना लाभ होगा ?

श्री पी० एस० देशमुख : मुझे यह सूचना दी गई है कि फिर से ठेके पर नहीं उठाया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं कि जहां नल-कूपों द्वारा सिंचाई योजना सफल नहीं होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां हमने इसे चलाने का प्रयत्न नहीं किया है । हमने इसे इन चार राज्यों में चलाया है, और मैं सदन को यह सूचित कर दूं कि इसके बाद हम प्रयोगात्मक नलकूप बनायेंगे, और उनकी संख्या ३३६ है। वे प्रायः प्रत्येक राज्य में बनेंगे ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि इस फर्म ने किसी अन्य को इसे फिर से ठेके पर उठा दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने उस में यह बात कही थी कि " यदि यह बात गलत हो तो बाद में इसमें सुधार किया जा सकता है", और अब मैं यही सुधार करना चाहता हूं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूब वेल्स बने हैं वे सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि वह ठीक काम कर रहे हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मध्य प्रदेश में सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें न होने की बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या उस भाग में नल-कपों को बनाने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रयोगात्मक प्रकार से अट्ठाइस नलकूप वहां बनाये जायेंगे ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या विंध्य प्रदेश के लिये कोई ट्यूब वेल्स की किस्म है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यहां विंध्य प्रदेश का नाम तो आया नहीं है ।

श्री नामधारी : क्या सरकार पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक नलकूप बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी, क्योंकि इससे ३॥ लाख मन अनाज तथा चारे की कुछ मात्रा के उत्पादन के अतिरिक्त, इससे ५५ लाख डॉलर विनियम तथा भारतीय धन की बचत होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य ने जो बात कही है सरकार उसको मानती है, और यही कारण है कि हम पंजाब को इतना अधिक अधिमान दे रहे हैं ।

श्री सी० एस० भट्ट : मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई राज्य के जिले वार आंकडे प्राप्त करना संभव है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास जिलेवार आंकड़े नहीं हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि इनमें से अधिकांश नलकूप गुजरात में बनाये जायेंगे ।

कुमारी आंनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि नल कूपों के निर्माण के सम्बन्ध में ध्यान केवल उत्तर का ही क्यों रखा जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि दक्षिण में बहुत बुरी पथरीली मिट्टी है, और नलकप सभी स्थानों पर सरलता से नहीं बन सकते हैं । मुझे खेद है कि यह बताया जाता है कि वहां एक ऐसी बहुत बड़ी तह है जहां नलकूपों को बनाना कठिन है ।

कुमारी आंनी मस्करीन : हमारा तो यह अनुभव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने रायलासीमा में इस नल-कूप योजना को चलाने का प्रयत्न किया है; और यदि ऐसा है तो उसके परिणाम क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक तो नहीं । जब प्रयोगात्मक नलकूप बनाने आरम्भ कर दिये जायेंगे तो मद्रास राज्य में ७५ नलकूप बनाये जायेंगे ।

डा० रामा राव : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि माननीय मंत्री को एक माइक और कॉफी दी जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की बात कहने की अनुमति नहीं दूंगा । यह वह स्थान नहीं जहां कोई व्यक्ति व्यंगात्मक बातें कह सके । यह अनुचित है । माननीय सदस्य को अपना सुझाव वापिस लेना चाहिये ।

डा० रामा राव : मैं उसे वापिस लेता हूं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा काफी न मिलने के कारण नहीं है कि माननीय मंत्री ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तामिलनाद के दक्षिण अर्कोट ज़िले में नलकूप योजनाओं के कार्यों के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं, क्या कोई जांच पड़ताल की गई थी अथवा इसके लिये कोई प्रयत्न भी किये गये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसकी भविष्य में किये जाने की सम्भावना है ।

श्री बी० एस० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन फर्मों का ठेका कितनी ही गहराई से पानी निकालने का होता है, जो कि उन्हें खोदनी पड़ती है अथवा उनका ठेका कुछ निश्चित गहराई तक खोदने का होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्यतः अधिकांश नल कूपों के मामले में नियत गहराई ३०० फीट है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या असोशियेटेड ट्यूबवैल्स लिमिटेड तथा बोम्बे फर्म के ठेके एक बार समाप्त हो चुके हैं, अथवा क्या वे अपने ठेके की शर्तों को पूरा नहीं कर सके, और क्या वे ठेके एक बार फिर दे दिये गये हैं, और यदि ऐसा है तो अब तक ऐसा क्यों किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें इन फर्मों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम लेने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ी है और इस लिये हमें कभी कभी इनको दिये गये समय को बढ़ाना पड़ा है ।

श्री टी० एन० सिंह : २,००० नल-कूपों में से, जो असोशियेटेड ट्यूब वैल्स द्वारा बनाये जाने हैं, उसने अब तक कितने नल-कूप बनाये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो संख्या बताई थी वह ९६० थी २,००० नहीं, तथा मैं समझता हूं लगभग ३५० बहुत शीघ्र बन जायेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि कितने बना दिये गये हैं न कि कितने बहुत शीघ्र बन जायेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग ३०० ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि राजस्थान में कोई नलकूप क्यों नहीं बनाया गया है और उन के वहां बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई सहायता क्यों नहीं दी ?

डा० पी० एस० देशमुख : राजस्थान में नलकूप बनाये गये हैं, और पांच नलकूपों की व्यवस्था प्रयोगात्मक नलकूपों की निर्माण योजना में सम्मिलित की जायेगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह सत्य है कि खिजरला में केवल एक ही नलकूप बनाने में सरकार के २८,००० रुपये खर्च हुए ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह ८,००० रुपये में बनाया जा सकता है ?

श्री यू० एम त्रिवेदी : मैं ने २८,००० रुपये कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि एक नलकूप पर वास्तविक खर्च कितना होगा ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि दक्षिण भारत में पिछले पांच वर्षों से मानसून न चलने के कारण और मदुरई ज़िले, डिंडीगुल तथा अन्य स्थानों में पानी की कमी है, क्या सरकार उन स्थानों पर जहां पर पीने के पानी की बड़ी कमी है नलकूप बनाने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस चीज़ को सुलझाना बहुत आसान काम नहीं है । पूरे देश में पानी की, विशेष कर पीने वाले पानी की कमी है, और हमें बहुत से राज्यों से ऐसी रिपोर्ट मिली हैं । केवल पीने वाले पानी के लिये ही नल कूप बनवाना हमारे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं जान सकता हूं कि नेशनल ट्यूबवैल्स लिमिटेड को अब तक कितना धन दिया गया था तथा अब तक उस ने कितना काम किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : रायलासीमा में नलकूप बनाने की जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में मद्रास सरकार से विचार-विमर्श किया गया था, और यदि ऐसा है तो, इस विषय में उस सरकार का क्या उत्तर था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि भारत सरकार ने अब तक कोई परिमाप या जांच पड़ताल की है ।

कई माननीय सदस्य

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत सी बातें पूछी जा चुकी हैं । अगला प्रश्न । प्रश्न संख्या ८८३, सरदार हुक्म सिंह ।

सरदार हुक्म सिंह : हमें जो प्रश्नों की सूची दी गई है, उस में प्रश्न संख्या ८८३ नहीं है । यह सूची में छपा नहीं है और मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भी कोई प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ८८२ के पश्चात 'रेलवे महाखण्ड (मितव्ययता)' पर एक प्रश्न है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरदार हुक्म सिंह ने उस प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी । मैं समझता हूं कि यह प्रेस की गलती है कि वहां श्री एन० पी० सिन्हा का नाम छाप दिया गया । २९ नवम्बर को एक शुद्धिपत्र निकाला गया जिस में यह था कि "श्री एन० पी० सिन्हा" के स्थान पर "सरदार हुक्म सिंह" पढ़िये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : एक और शुद्धि भी आवश्यक है । '८८४' के स्थान पर हमें '८८३' पढ़ना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शुद्धि भी उसी शुद्धिपत्र में दी हुई है :

"पृष्ठ १२१ (१) में प्रश्न संख्या ८८२ के बाद वर्तमान संख्या "८८४" के स्थान पर "८८३" पढ़िये ।"

अच्छा होता यदि माननीय सदस्य को यह बात मालूम होती । अन्यथा मैं अगले प्रश्न को लेता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, श्रीमान् ।

रेलवे महाखण्ड (मितव्ययता)

८८३. सरदार हुक्म सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों के महाखण्डों में पुनःवर्गीकृत किये जाने से तथा उन में प्रथम श्रेणी के समाप्त किये जाने से रेलों के व्यय में कितनी कमी होने या उन की कार्य कुशलता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यद्यपि पुनःवर्गीकृत रेलों में यातायात के संचालन में अब पहिले से अधिक समन्वय है, तथापि अभी यह अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्व होगा कि व्यय में कितनी कमी हुई है या हो सकती है । इस सम्बन्ध में ठीक ठीक अनुमान तो एकीकरण के कार्य के पूरे हो जाने के थोड़े दिन बाद ही लगाया जा सकता है । जहां तक प्रथम श्रेणी के समाप्त किये जाने के वित्तीय परिणामों का प्रश्न है, वह तो पहिले ही रेल प्रशासनों को निर्दिष्ट किया जा चुका है और अब उन की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुनःवर्गीकरण के फलस्वरूप की गई छंटनी से कितनी धन राशि की बचत हुई ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं इस प्रकार का उत्तर देना तथा इस योजना के अन्तर्गत जो मितव्ययता हो सकती है उसे बताना समय से बहुत पूर्व होगा ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस एकीकरण के फलस्वरूप होने वाली छंटनी के कारण ऐसे कुछ अस्थायी रेल कर्मचारी हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया ?

श्री अलगेशन : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : प्रथम श्रेणी को समाप्त कर देने के कारण द्वितीय श्रेणी के कितने अतिरिक्त डिब्बे लगाये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : जैसे ही प्रथम श्रेणी को समाप्त कर दिया जायेगा, इन डिब्बों को द्वितीय श्रेणी में बदल देने का विचार है और इनमें जो सुविधायें प्राप्त होती हैं उनमें कमी नहीं की जायेगी ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि जब से पुनर्वर्गीकरण हुआ है, कितने ज्येष्ठ श्रेणी के पद यथा उप-संचालक तथा अन्य, बनाये गये हैं ?

श्री अलगेशन ; ज्येष्ठ गज़टेड पदों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या सरकार का ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर दिलाया गया है जिन से यह पता लगता है कि जब से महाखण्ड व्यवस्था चलाई गई है रेलों की कार्यकुशलता में विशेषकर इनके चलने के सम्बन्ध में दशा बिगड़ती ही जा रही है ?

श्री अलगेशन : जब से महाखण्ड व्यवस्था चलाई गई है, इनके चलने के सम्बन्ध में, अधिक कार्यकुशलता आ गई है । हम आज कल इतना कोयला ढो रहे हैं जितना कि हम ने अभी तक ढोया नहीं था, उदाहरणार्थ, केवल मुग़लसराय में एक दिन में १,१६५ डिब्बे कोयला ढोया जा रहा है और जितने हम ने न्यूनतम ढोने के लिये कहा था उसकी अपेक्षा हम प्रतिदिन औसतन ५०० डिब्बे कोयला अधिक ढो रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता बन्दरगाह में जो माल इकट्ठा हो गया है क्या वह महाखण्ड व्यवस्था से होने वाली बढ़ी हुई कार्यकुशलता के कारण है ?

श्री अलगेशन : यह महाखण्ड व्यवस्था के कारण नहीं है। निस्संदेह, यह सर्व विदिति है कि हमारे पास मालगाड़ी के डिब्बों की कमी है ; और यह जो माल इकट्ठा हो गया है वह आंशिक रूप से डिब्बों की कमी के कारण है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस महाखण्ड व्यवस्था के कारण कितने अवैतनिक गज़टेड अधिकारी बनाये गये हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे इसका पता नहीं।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या दो या तीन मास पूर्व कलकत्ता बन्दरगाह में माल इकट्ठा नहीं था और क्या केवल पिछले दो या तीन महीनों में ही वहां माल इकट्ठा हुआ है ?

श्री अलगेशन : इसके कई कारण हैं एक तो यह है कि सभी अनाजों के जहाज़ एक ही समय में आ गये ; परिणामत: सब जहाज़ वहां इकट्ठे हो गये। ऐसा केवल माल ढ़ोने के डिब्बों की कमी के कारण ही नहीं है। इसके और भी बहुत से कारण हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि इस महाखण्ड व्यवस्था के कारण दक्षिण में मद्रास-बेजवाड़ा लाइन में बहुत माल इकट्ठा हो गया है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री अलगेशन : हम उस इकट्ठे माल को वहां से हटाने के लिये बहुत शीघ्र कार्य कर र हे हैं।

श्री नानादास : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया कि सभी प्रथम श्रेणी के डिब्बों को द्वितीय श्रेणी में बदल दिया जायेगा। क्या इससे मैं यह समझूं कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये, प्रथम श्रेणी को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप , और अधिक डिब्बे नहीं दिये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि यह बात उससे किस प्रकार उत्पन्न होती है। हम तृतीय श्रेणी के लिये भी और अधिक डिब्बे देने का प्रयत्न कर रहेहैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जब प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी जायेगी तो सर्वोच्च श्रेणी का क्या नाम होगा ?

श्री अलगेशन : द्वितीय श्रेणी सर्वोच्च श्रेणी होगी, और इसके अतिरिक्त एयरकंडीशंड डिब्बे भी होंगे।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि भारतीय रेलों में पुन:वर्गीकरण तथा महाखण्ड व्यवस्था योजनाओं के परिणामस्वरूप जितने कर्मचारियों की छंटनी किये जाने को सम्भावना है उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्री अलगेशन : किसी भी कर्मचारी के निकाले जान की सम्भावना नहीं है। कल दूसरे सदन में मैं ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि बहुत थोड़े कर्मचारियों की छंटनी की गई है।

श्री नम्बियार : पहिले ही दिय गये उत्तर से उत्पन्न, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कर्मचारियों की ओर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विशेषकर दक्षिण रेलवे में, बहुत अधिक स्थानान्तरण करने के विषय में शिकायतें मिली हैं ?

श्री अलगेशन : सरकार ने उन तीन महाखण्डों, जो बाद में बनाये गये थे, के सम्बन्ध में एक वचन दिया था। किसी भी अन्य पुन: वर्गीकृत महाखण्ड में स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। किन्तु फिर भी, ये स्थानान्तरण बहुत कम किये जाते हैं।

बहुप्रयोजन कल्याण केन्द्र

*८८४. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार कोयले की खानों में तथा अन्य स्थानों में स्त्री-मज़दूरों के लिये कितने बहुप्रयोजन कल्याण केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) क्या स्त्री मज़दूरों को कोई पारिश्रमिक मिलता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अट्ठारह केन्द्र, जिनकी सूची सदन पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी नहीं।

मैं यह और बता दूं कि कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है किन्तु जो स्त्री मज़दूर इन केन्द्रों में आती हैं उन्हें बुनाई तथा अन्य खर्चा विशिष्ट दरों के हिसाब से दिया जाता है। सामान निधि में से दिया जाता है और इस प्रकार जो चीज़ें बनाई जाती हैं वे कोयला खानों में काम करने वालों को बेच दी जाती हैं।

विवरण

बिहार कोयला क्षेत्रों के उन स्थानों की सूची जहां बहुप्रयोजन कल्याण केन्द्र खोले गये हैं।

पथरडीह, भूलनबाराँड़ी, भौरा, जीतपुर उद्योग, बस्ताकोला, कुस्तोर, कंकानी, बंसजोरा, सिजुआ, भगतडीहपूर्व, भूठि, दीत लैकडीह, बोकारो, करगली, गिरडीह, राज्य रेलवे कोयला खान, भुरकुंडा तथा रेलीगढ़।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या केवल स्त्री मज़दूर ही इन केन्द्रों का लाभ उठा सकती हैं अथवा पड़ौस में रहने वाली स्त्रियां भी इनका लाभ उठा सकती हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि ऐसा केवल स्त्री मज़दूर ही कर सकती हैं, किन्तु मुझे निश्चित पता नहीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय होता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास यह सूचना यहां नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य उत्सुक हैं तो मैं उन्हें बाद में दे सकता हूं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि मालिकों द्वारा भी व्यय का कुछ भाग वहन किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : इसमें मालिक तथा सरकार है यह कोयला खान कल्याण निधि में से दिया जाता है।

श्रीमती ए० कालें : मैं जान सकता हूं कि क्या स्त्री मज़दूरों को प्रसूति सुविधायें दी जाती हैं अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं होता है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन्हें मिलती हैं।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : इन बहु प्रयोजन केन्द्रों के क्या कार्य हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : सदन के प्रत्येक सदस्य को इसकी रिपोर्ट दे दी गई है और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे पढ़ें।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार अभ्रक की खानों के लिये भी ऐसे बहुप्रयोजन कल्याण केन्द्र खोलने का है, और यदि ऐसा है तो क्या गुडूर की खान के लिये भी कोई कार्यक्रम है ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार का विचार है।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या कोठागुदम कोयला खान के मज़दूरों के लिये ऐसी कोई योजना चलाई गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे ठीक पता नहीं।

श्री नम्बियर : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना में ठेके वाले मजदूर भी सम्मिलित किये जायेंगे अथवा यह उन्हीं तक सीमित रहेगी जिन्हें कि प्रबन्धकों से वेतन मिलता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि इसमें ठेके वाले मजदूर भी सम्मिलित हैं।

श्री अब्दुसत्तार : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे कल्याण केन्द्र किसी अन्य कोयले की खानों में भी हैं, विशेष कर, पश्चिमी बंगाल में ?

श्री वी० वी० गिरि : हां, अन्य कोयला खानों में भी हैं।

हाइड्रोपोनिक खती

*८८५. **श्री दाभी** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल में कलिम्पोंग में हाइड्रोपोनिक खेती में प्रयोग किये गये हैं;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या वह प्रयोग सफल हुआ है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). प्रयोगों से यह पता लगा है कि इस टैक्नीक द्वारा पौदे पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक बढ़ सकते हैं। किन्तु इस पर बहुत अधिक व्यय होता है।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्य यह सत्य है कि 'हाइड्रोपोनिक्स' रेगिस्तान तथापथरीली जगहों में उपयोगी है, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार इस विषय में कोई प्रयोग करने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रयोगों से यह कहीं भी पता नहीं लगा कि यह सस्ते तरीके से किया जा सकता है। प्रयोगों से जो बात मालूम पड़ सकती है वह यह है कि इसके ऐसा किये जाने की सम्भावना है, किन्तु इसका व्यय बहुत अधिक है।

श्री एस० सी सामन्त : क्या मैं वह टैक्नीक जान सकता हूं—यह कैसे किया जाता है ?

श्री वी० पी० नायर उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने से पहले माननीय सदस्यों को अपने चारों ओर देखना चाहिये।

डा० एस० पी० देशमुख : हाइड्रोपोनिक्स अथवा बिना मिट्टी की खेती में कोई नई बात नहीं है। पौधा दैहिकीविदों ने लगभग एक शताब्दी पहिले यह मालूम किया था कि यदि पौधों की जड़ें ऐसे पानी में, जिसमें नमक घुला हो अथवा ऐसी शुद्ध रेती में हो जिसमें कुछ प्रकार के नमकों के घोल का पानी दिया गया हो, तो बिना मिट्टी के भी पौधों का सफलतापूर्वक उगाया जाना सम्भव है यह टैक्नीक जो कि जल शास्त्र कहलाती है, अब भी पौधों के लिये खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को जानने के लिये बहुत उपयोगी पाई जाती है। वास्तव में इस टैक्नीक को आधुनिक कृषिसार का आधार माना जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या हाइड्रोपोनिक्स में प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप, हमारे देश में फसलों को भी उसी प्रकार उगाया जा सकता है ?

श्री पी० एस० देशमुख : जी हां। ऐसा करना सम्भव है, किन्तु सभी जगह यही अनुभव हुआ है कि इसमें क्या व्यय बहुत होता है।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में बिना मिट्टी की खेती के लिये अन्तदर्शीय जल अब उपलब्ध हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जान सकता।

ताप तथा ध्वनि विसंवाहक पदार्थ

*८८६. **श्री राघवय्या :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक इस प्रकार की प्रक्रिया का आविष्कार किया गया है कि जिससे चीनी बनाये जाने के बाद अवशिष्ट पदार्थ से ताप तथा ध्वनि विसंवाहक पदार्थ बन सकेगा ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वह प्रक्रिया कौन सी है तथा यदि वह फ़ैक्टरी में तैय्यार किया जाय तो एक पौंड पदार्थ तय्यार करने में औसतन कितना खर्च होता है ?

(ग) क्या उपरोक्त पदार्थ के उत्पादन के लिये एक फ़ैक्टरी को खोलने अथवा खोलने में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

(घ) ध्वनि तथा ताप विसंवाहक पदार्थ, जिसकी भारत में इस समय खपत है मुख्य रूप से कहां से उपलब्ध होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४**]।

उत्पादन के वर्त्तमान व्यय के विषय में पता नहीं है।

(ग) गन्ने की खोई (बगास) से नहीं। फिर भी सरकार कड़ा तथा विसंवाहक गत्ता बनाने वाली फ़ैक्टरी, जिसमें बांस कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जायेगा, को स्थापित करने के विषय में विचार कर रही है और इसे प्रोत्साहन दे रही है।

(घ) इसकी आवश्यकता का अधिकांश भाग इंग्लैण्ड से होने वाले आयात से पूरा किया जाता है ताप-विसंवाहक पदार्थ की आवश्यकता का कुछ भाग देशी उत्पादन से भी पूरा होता है।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि $\frac{7}{16}$ इंच गन्ने की खेती को खोई के रेशे के उत्पादन का युद्धोत्तर व्यय क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैंने उत्तर में बताया कि इसके व्यय का पता नहीं लगता है।

श्री राघवय्या : सदन पटल पर रखे गये विवरण में केवल युद्ध पूर्व उत्पादन का व्यय दिया हुआ है और उसमें उत्पादन का युद्धोत्तर व्यय नहीं दिया हुआ है।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से यह मालूम होता है कि गन्ने की खोई की एक टाल को सुरक्षित रखने के लिये ५०० पौण्ड बोरिक एसिड की आवश्यकता होगी। मैं जान सकता हूं कि क्या गन्ने की खोई को सुरक्षित रखने के व्यय को कम करने के विषय में कोई प्रयोग किये गये हैं ?

श्री पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता कि ऐसे कोई प्रयोग किये हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को "वुय्यूर" चीनी के कारखाने से कोई सूचना मिली है कि वहां यह प्रयोग किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को क्या कोई सूचना मिली है कि मद्रास राज्य के "वुय्यूर" चीनी के कारखाने में यह प्रयोग किया जा रहा था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पता नहीं हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि गन्ने की खोई की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ?

श्री वी० पी० नायर : गन्ने की खोई की प्रति टाल को सुरक्षित रखने में कुल कितना व्यय होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुल व्यय तो मिलों को मालूम होता है । मैं समझता हूं कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

कोयला खान कल्याण निधि के अधीन चलने वाले अस्पताल

*८८८. **डा० रामा राव :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन के अधीन कितने स्थानों में कितने अस्पताल चलाये जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक में बीमारों के लिये कितने स्थान तथा अन्य सुविधाये उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन अस्पताल के कार्य के विषय में नियमित रूप से रिपोर्टें मिलती रही हैं ?

(ग) क्या सरकार को इन अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा मज़दूरों तथा उनके परिवारों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के विषय में कोई रिपोर्ट मिली हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि धनबाद अस्पताल में एक खनिक की पत्नी को दाखिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और इस सम्बन्धमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) एक केन्द्रीय अस्पताल धनबाद में, चार प्रादेशिक तथा शिशु कल्याण केन्द्र तिस्रा, कटरास, चोरा, तथा सीरसोल में और भूली में एक डिस्पेंसरी । अन्य विस्तृत ब्योरे के लिये, वर्ष १९५०–५१ के लिये कोयला खान श्रम कल्याण निधि के कार्यों के छपे हुए ज्ञापन की ओर ध्यान दिलाया जाता है । उस रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं और सभी सदस्यों को दे दी गई हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार को कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली थी किन्तु सरकार का ध्यान स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया था । इस मामले की छान बीन करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं और उसमें प्रगति हो रही है ।

मैं यह भी बता दूं कि जिस समय भी यह रिपोर्ट मिलेगी तो यदि आवश्यक होगा, तो मैं इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न यदि उसे स्वीकार कर लिया गया, का उत्तर दे दूंगा ।

डा० रामा राव : मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम कल्याण मंत्रणा समिति को इन अस्पतालों में किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली हं, और यदि ऐसा है तो क्या उनपर समिति की त्रैमासिक बैठकों में विचार किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : रिपोर्टें मिलती हैं और वहां अच्छा व्यवहार किया जाता है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार इन अस्पतालों का कोई निरीक्षण या अधीक्षण करती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मज़दूरों, मालिकों तथा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक त्रिपक्षीय समिति है ।

डा० बी० एस० मूर्ति : इस छान बीन को कौन कर रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि हमने कोयला खान कल्याण आयुक्त को छानबीन करने तथा एक रिपोर्ट भेजने के लिये आदेश दिया है ।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि ये अस्पताल कार्य दिवसों में बन्द रहते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे नहीं मालूम ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

रायलासीमा में अनावृष्टि

डा० गंगाधर शिव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष भी रायलासीमा में वर्षा नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि रायलासीमा में ज्वार की तथा अन्य फसल बहुत अधिक सूख गई हैं ;

(ग) रायलासीमा में कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं और जो आज कल भी चल रही हैं ; तथा

(घ) क्या रायलासीमा में उचित मूल्य वाली दुकानों में इतना आनज इकट्ठा है जिससे उस क्षेत्र की अनाज की कमी पूरी हो सके ?

खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (घ) तक । रायलासीमा के पांच ज़िलों में से चार ज़िलों दक्षिण पश्चिम की मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर रहते हैं जब कि पांचवां अर्थात् चित्तूर दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व दोनों की ओर से चलने वाली मानसून पर निर्भर करता है । दक्षिण पश्चिम की मानसून की अवधि में जून से सितम्बर तक इन जिलों में वर्षा सामान्य से कम हुई थी । उत्तर-पूर्व की मानसून भी अब तक कम रही है और इससे खड़ी फ़सल पर बुरा प्रभाव पड़ा है । किन्तु अब भी जो वर्षा होगी उससे स्थिति आंशिक रूप से सुधर जायेगी और उसकी बहुत अधिक प्रतीक्षा की जा रही है ।

मद्रास सरकार ने इन सब ज़िलों में १,५७९ उचित मूल्य की दूकानों द्वारा खाद्यान्नों को बांटे जाने का प्रबन्ध किया है । इन दूकानों में बहुत अधिक खाद्यान्न जमा है और जब आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उनको और अधिक अनाज देगी ।

डा० गंगाधर शिव : मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश के उस अभागे भाग जो आकस्मिक संकट पैदा हो गया है उसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने कहां तक क्रियान्वित किया है अथवा करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : आपका प्रश्न क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने उत्तर दे दिया है ? प्रश्न क्या है ?

डा० गंगाधर शिव : मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के उस अभागे भाग में जो आकस्मिक संकट पैदा हो गया है उसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने कहां तक क्रियान्वित किया अथवा करेगी ?

श्री किदवई : मैं इसे नहीं समझ सका । क्या क्रियान्वित करना है ? वहां अनाज की बहुत दूकाने हैं ; और उन में बहुत अनाज इकट्ठा है । यदि आवश्यकता हुई तो उनको और अधिक अनाज दे दिया जायेगा । वह क्या है जिसे क्रियान्वित करना है ?

डा० गगाधर शिव : आर्थिक सहायता ।

श्री किदवई : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उचित मूल्य वाली दुकानों में दाम कम करने के लिये ।

श्री किदवई : मूल्य दो वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे और वहां दाम नहीं बढ़े हैं और अनाज उन्हीं दामों में बेचे जायेंगे ।

डा० गगाधर शिव: यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इस आकस्मिक संकट का मुकाबला करने के लिये सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की ।

श्री किदवाई : मैं ने बताया है कि अनाज की दूकानें वहां पिछले दो वर्ष से चल रही हैं और ये दूकानें चलती रहेंगी । यदि किसी क्षेत्र में अधिक दूकानें खोलनी पड़ेंगी तो वे खोल दी जायेंगी और वहां जिस अनाज की आवश्यकता होगी वह उन्हें दिया जायगा ।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या रायलासीमा के दुर्भिक्ष पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये कोई विदेशी भेंट खाद्य के रूप में दी गई हैं और यदि ऐसा है, तो क्या उनका उचित प्रकार से वितरण किया गया था, और यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री किदवई : कुछ विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी और इसका उचित रूप से वितरण किया गया था । किन्तु यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जायगी ।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम है कि इन दुर्भिक्ष वाले क्षेत्रों में सहायता की ये चीज़ें ठेकेदारों द्वारा बांटी जाती हैं और जिनको ये दी जाती हैं उन्हें इनको प्राप्त करने में एक सप्ताह लग जाता है ?

श्री किदवई : जहाज़ों से माल उतारने तथा इन चीज़ों को गन्तव्य स्थान तक भेजने में सदा समय लगता है, और यदि ऐसा एक सप्ताह में हो गया तो मैं समझता हूं कि इसमें अनुचित रूप से देरी नहीं हुई है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है और, यदि ऐसा है, तो किस रूप में ?

श्री किदवई : सहायता कार्य पर किये जाने वाले सभी धन तथा रियायती दामों पर दिये जाने वाले अनाज के मामले में मद्रास सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों का आधा आधा भाग होता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस वर्ष मौनसून न होने के क रण मद्रास सरकार ने और अतिरिक्त अनाज देने के लिये प्रार्थना की है ?

श्री किदवई : अतिरिक्त अनाज क्या है ? जिस अनाज की उन्हें आवश्यकता होगी वह दे दिया जायगा ।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार की यह नीति है कि केवल कलकत्ता को ही अनाज दने में प्राथमिकता दी जाय तथा रायलासीमा और गुन्टूर और नेलोर के अनावृष्टि वाले जिलों के व्यक्तियों के देने की नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह बड़े खेद की बात है । मैं माननीय सदस्य को केवल खड़े हो जान के कारण ही और अधिक प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे

सकता । यदि उनकी रायलासीमा में वास्तविक रुचि है तो वह सरकार की इस प्रकार आलोचना नहीं करेंगे, अपितु वह ऐसे सुझाव कि यह कैसे किया जाना चाहिये अथवा यदि कहीं अभाव हो तो वह माननीय मंत्री को बतायें। मैं इस प्रकार के प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन भोजन वितरण केन्द्रों को चलाने में सेना की सहायता ली जायगी, जिनको चलाने के सम्बन्ध में बहुत धांधलियां हुई हैं ?

श्री किदवई : सरकार ने संतोषजनक प्रबन्ध किये हैं। इस सम्बन्ध में आज तक कोई शिकायतें नहीं हुई हैं । यदि कोई शिकायत आयेगी तो मैं उचित प्रतिकार के लिये उसे मद्रास सरकार को भेज दूंगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में रेलवे लाइनों का पुनर्स्थापन तथा निर्माण

***८८७. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में बिहार सरकार ने बिहार में नई रेलवे लाइनों के पुनर्स्थापन तथा निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या सिपारिश की हैं ; तथा

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) चालू वर्ष में बिहार सरकार ने कोई विशिष्ट सिपारिशें नहीं की हैं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी भू धारण विशेषज्ञ

***८८९. श्री मोहन राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विदेशी भूधारण विशेषज्ञ हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह कौन है, किस देश का निवासी है, उसकी भारत यात्रा का किसने प्रबन्ध किया. भारत में अथवा अन्य देशों में भूधारण के सम्बन्ध में उसके क्या अनुभव हैं और उस पर भारत सरकार ने कितना व्यय किया था ;

(ग) उसके यहां आने का क्या अभिप्राय था ;

(घ) भारत के किस भाग में वह गया ; तथा

(ङ) क्या उसने केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किन्हीं अन्य विभागों को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की अथवा सिपारिश की और यदि ऐसा है तो उसकी रिपोर्ट अथवा सिपारिशें किस प्रकार की थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक । डा० केनेथ एच० पार्सन्स, जो अमेरिका की विसकोंसिन विश्वविद्यालय में कृषि सम्बन्धी अर्थशास्त्र के प्रोफैसर हैं, और श्री डब्लू० लेडजिंस्की, जो कि टोकियों में अमरीकी दूतावास में कृषि सम्बन्धी सहचारी हैं, इस देश में भूधारण समस्याओं का अध्ययन करने के अभिप्राय से टी० सी० ए० के तत्वावधान में एक अल्पकालीन अध्ययन दौरे पर भारत आये । भारत सरकार ने उन पर कोई व्यय नहीं किया । डा० पार्सन्स भूधारण समस्याओं के विशेषज्ञ हैं और अक्टूबर १९५१ में अमेरिका में हुए विश्व भूधारण सम्मेलन के संयोजकों में से एक थे श्री लेडजिंस्की ने सूदूर पूर्व के देशो, अर्थात् फिलिप्पाइन्स, चीन, कोरिया आदि में कृषि

सम्बन्धी समस्याओं का विशेष अध्यन किया है और जापान के भूमि सुधार कार्यों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे । डा० पार्सन्स ने उत्तर प्रदेश, पेप्सू, बम्बई तथा मद्रास का दौरा किया और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और योजना आयोग को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उनकी रिपोर्ट का एक संक्षिप्त वृत्तान्त सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]।

श्री लेडर्जिस्की की रिपोर्ट के विषय में सूचना यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

चपडा

*८९०. **श्री जसानी :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे चपड़ा के वर्तमान दर क्या है ?

(ख) गत वर्ष तत्संवादी अवधि में क्या दर थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि सट्टेबाजों के कार्यों से चपड़े के बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि चपड़े के बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ गया है इस कारण इसकी खेती करने वाले तथा उत्पादकों को बहुत अधिक हानि हुई है ?

(ङ) क्या इसके विषय में चपड़ा उत्पादकों ने भारत सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ?

(च) यदि ऐसा है, तो सरकार को क्या तथ्य मालूम हुए ह और इस मामले में अब तक कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कलकत्ता में अक्टूबर, १९५२ में टी० एन० चपड़े का औसतन मासिक मूल्य ७१ रुपये प्रति मन था ।

(ख) १५९ रुपये प्रति मन ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां ।

(च) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और भारतीय लाख उप-कर समिति के परामर्श से यह मामला विचाराधीन है ।

खाद्यान्नों का आयात

* ८९१. **श्री बालकृष्णन् :** क्या खाद्य **तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५२ में खाद्यान्नों के आयात में कमी कर दी गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस कमी के क्या कारण हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) देश में पूर्ण संतोष जनक खाद्य स्थिति के कारण यह कमी की गई है ।

रेलवे मंत्रणा समितियां

८९२. **श्री कृष्णचन्द्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक खण्ड में रेलवे मंत्रणा समितियां नियुक्त करने और उनमें संसद् सदस्यों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस समय मंत्रणा समितियां बनी हुई हैं जिनमें राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है ; तथा

(ग) क्या संसद् सदस्य रेल के कारखानों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य रेल संस्थाओं का निरीक्षण कर सकते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): (क) सरकार ने वर्त्तमान मंत्रणा समितियों के स्थान पर खण्डों के आधार पर रेल यात्रियों की परामर्श समितियां बनाने का निश्चय किया है। प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(ख) जी हां।

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों से जब इस प्रकार का आवेदन किया जाता है तो संसद् सदस्यों को रेल के कारखाने आदि दिखलाने के सामान्य रूप से प्रबन्ध किये जाते हैं।

खाद्य स्थिति

*८९३. **श्री बासप्पा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितना खाद्यान्न इकट्ठा है ;

(ख) विदशों से मंगाये जाने वाले खाद्यान्नों के बारे में क्या स्थिति है;

(ग) जिन राज्य सरकारों ने नियंत्रण बना रखा है वहां अब तक खाद्यान्नों का कितना समाहार हुआ है ; तथा

(घ) क्या मई १९५२ के बाद खाद्यान्नों के आयात के लिये कोई नये ठेके किये गये हैं, और यदि ऐसा है तो किसके साथ और कितनी मात्रा के लिये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री **(श्री किदवई)** : (क) १५ नवम्बर, १९५२ तक २१.८१ लाख टन।

(ख) पहिली जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५२ तक विदेशों से लगभग ३७.२४ लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया है और वर्ष के शेष दो महीनों में, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर में लगभग १.६ लाख टन खाद्यान्न के आने की आशा है।

(ग) १५ नवम्बर १९५२ तक ३१.७३ लाख टन।

(घ) जो हां। एक विवरण जिसमें विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पहली जून, १९५२ से अक्टूबर १९५२ के अन्त तक विदेशों से खाद्यान्नों के आयात के लिये किये गये ठेके

देश का नाम	अनाज	मात्रा लौंग टनों में
(१) आस्ट्रेलिया	गेंहूं और आटा	५०,००० टन (इसमें १२,५०० टन आटे के रूप में होगा)।
(२) अर्जेन्टाइना	गेंहूं	मात्रा बताई नहीं जा सकती।
(३) कनाडा	गेहूं	३००,००० टन
(४) अमेरिका	गेहूं	९५,००० टन
,,	मिलो	५७,००० टन
(५) बरमा	चावल	५०,००० टन
(६) चीन	चावल	४९,२३० टन
(७) पाकिस्तान	चावल	३७,७०० टन

छोटी लाइन

*८९४. **श्री बासप्पा** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मैसूर, अथवा बंगलौर और पूना के बीच की छोटी लाइनों को बड़ी लाइन से मिलाने के कोई प्रस्ताव हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस कार्य को कब आरम्भ करेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख)। बंगलौर और मैसूर तथा बंगलौर और पूना के बीच की छोटी लाइनें बड़ी लाइन से पहिले ही मिली हुई हैं।

मनीपुर से चावल का निर्यात

*८९५. **श्री एल० जे० सिंह** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में मनीपुर सरकार द्वारा समाहार किये गये चावल के आंकड़े तथा समाहार किये जाने के बाद रसद कार्यालय द्वारा निर्यात किये गये चावल के टनों में आंकड़े और व्यापारियों द्वारा स्थानीय बाजारों से इकट्ठा कर के परमिटों द्वारा निर्यात किये गये चावलों की मात्रा के आंकड़े टनों में क्या हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार भविष्य में भी ऐसे आंकड़े रखने का है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जब मनीपुर सरकार ने अभाव के कारण चावल ज़ब्त कर लिया उसके बाद सरकार ने बिना भेद भाव के चावल का निर्यात किया था ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो जो अधिकारी इस निर्यात के लिये उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं, केवल ५८ टन कोहिमा भेजे गये थे, जोकि सामान्य रूप से चावल मनीपुर से ही प्राप्त होता है।

(घ) यह उत्पन्न नहीं होता।

सवारी गाड़ी तथा माल गाड़ी के डिब्बे

*८९६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी**: रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन माल गाड़ी तथा सवारी गाड़ी के डिब्बों का आयात होता है क्या वे माल गाड़ी अथवा सवारी गाड़ी के पूर्ण डिब्बों के रूप में अथवा भागों में आते हैं और उन्हें इस देश में जोड़ कर पूरा बना दिया जाता है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : माल गाड़ी के डिब्बे अधिकांश रुप में आधी जुड़ी दशा में आते है और उन्हें भारत में जोड़ा जाता है। सवारी गाड़ी के डिब्बे पूरे बने हुए आते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें अन्दर का सामान लगा होता है और कुछ एसे होते हैं जिनमें यह नहीं लगा होता है।

रेल के कम्पार्टमेंट (जगहें)

*८९७. **श्री तेलकीकर** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ी के एक कम्पार्टमेंट अथवा डिब्बे में जितने मुसाफिरों के बैठने की निर्धारित संख्या के सम्बन्ध में नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो, तो इसके पालन में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) यद्यपि रेल-गाड़ी के एक कम्पार्टमेंट में जितने मुसाफिर बैठ सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या वहां लिखी होती है, किन्तु इस बात का पालन करना सम्भव नहीं हो सका कि उतने से अधिक मुसाफिर वहां न बैठें।

(ख) इसका मुख्य कारण डिब्बों की कमी है ।

बंगलौर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग

*८९८. **श्री पी० रामस्वामी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरनूल होकर बंगलौर और हैदराबाद के बीच की ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी पर पुल न होने के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात में रूकावट पड़ती है ; तथा

(ग) सरकार का विचार इस राजमार्ग को कब समाप्त करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बंगलौर तथा हैदराबाद के बीच की सड़क वर्तमान अस्थायी राजमार्म योजना मे सम्मिलित है किन्तु अभी यह निश्चय नहीं किया गया कि यह सड़क करनूल होकर अथवा रायचूर हो कर जाय ।

(ख) जी हां, यदि कुरनूल होकर जान वाली सड़क को अन्तिम रुप से मान लिया जाय । किन्तु यदि सड़क रायचूर होकर जायेगी तो केवल तुंगभद्रा पर ही केवल एक पुल की आवश्यकता होगी क्योंकि कृष्णा नदी पर तो पहिल से ही पुल बना हुआ है ।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग १९५७-५८ क अन्त तक सभी मौसमों में यातायात के लिय ठीक हो जायगा । फिर भी, मसूर राज्य, फडरल वित्तीय एकीकरण के अन्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग योजना में सम्मिलित नहीं हुआ है और इसलिये उस राज्य म बंगलौर के निकट सड़क के उस भाग का विकास उस राज्य का उत्तरदायित्व है और न कि केन्द्रीय सरकार का ।

रामगुंडम बैलाडुला रेलवे लाइन

*८९९. **श्री पी० रामस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भूतपूर्व एन० एस० रेलवे नें १९४६ और १९४७ में मध्य रेलवे में रामगुंडम से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बैलाडुला तक मार्ग का रेल की लाइन के लिये परिमाप किया था ;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है ; तथा

(ग) क्या सरकार इसकी शीघ्र कार्यान्विति पर विचार करेगी ?

रेल तथा यातायात उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, १९४९ में इस रेल की लाइन के भूतपूर्व एन० एस० रेलवे ने इंजीनियरिंग परिमाप किया । फिर भी कोई यातायात पर्यालोकन नहीं किया गया था ।

(ख) तथा (ग) । इस समय उस परियोजना में अग्रेतर कार्य करने का विचार नहीं है ।

मचेरिया-सिकन्दराबाद रेलवे लाइन

*९००. **श्री पी० रायास्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर मचेरिया को नालगोंडा होकर मध्य रेलवे पर सिकन्दराबाद तक छोटी लाइन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इंजीनियरिंग परिमाप कब किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

रेटिंग स्कूल

*९०१. **श्री के० जी० देशमख :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि व्यापारी जहाजों के लिये नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के लिये भारत सरकार सौराष्ट्र प्रान्त में शीघ्र ही एक "रेटिंग स्कूल" स्थापित करेगी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में सौराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को किन सुविधाओं को देना स्वीकार किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी तट पर व्यापारिक जलयोत (मचन्ट नेवी) रेटिंग्स के प्रशिक्षण के लिये एक स्कूल स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि सौराष्ट्र सरकार अब उस बात पर विचार कर रही है कि इस सम्बन्ध में वह क्या सुविधायें दे सकती है

बम्बई-मगलोर हवाई सर्विस

*९०१. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा मंगलौर के बीच प्रस्तावित हवाई सर्विस कब से आरम्भ होगी; तथा

(ख) इस सार्विस का कौन सा मार्ग होगा और यह किन शहरों से होकर जायेगी

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादर): (क) प्रस्तावित तिथि पहिली जनवरी १९५३ है ।

(ख) बम्बई-मंगलौर-कोचीन ।

मनीपुर में खाद्य अभाव की स्थिति

*९०३. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर म खाद्य अभाव की स्थिति का कितने क्षेत्र तथा कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा :

(ख) वहां खाद्य अभाव की स्थिति के क्या कारण हैं ;

(ग) भारत सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अब तक क्या सहायता का किया गया है ; तथा

(घ) क्या सरकार का प्रयोगात्मक सहायता कार्य करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मनीपुर में हाल ही की खाद्य अभाव की स्थिति से प्रभावित क्षेत्र तथा व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५२ में उस राज्य में बहुत बार बाढ़ आई जिसके कारण दो या तीन बार बना पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि स्टांक घट गया ।

(ग) आसाम के रसद विभाग के प्रबन्ध से आसाम सरकार के स्टाक में से मनीपुर में १५ रुपये प्रतिमन के सस्ते दर से बेचने के लिये भेजे गये । इस चावल में से १४०२ मन चावल बिना बिके हुए सरकारी गोदामों में पड़ा है, क्योंकि अब इसकी मांग इस कारण नहीं है इस स्थानीय मोटे चावल की किस्म का दाम गिर कर १० रुपये प्रति मन हो गया जो कि समाहार मूल्य से कम है जो कि ११ रुपये प्रति मन है ।

(घ) चूंकि अब अभाव नहीं है और चावल के दाम समाहार के दाम से कम हो गये हैं, कोई प्रयोगात्मक कार्य आवश्यक नहीं है ।

बंजर भूमि (कृष्यकरण)

*१०४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बंजर भूमि के कृष्यकरण के संबन्ध में नीदरलैंड के किसी विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उनकी सेवा की शर्तें क्या?

(ग) उनकी परामर्श के अनुसार अब तककि तनी बंजर भूमि का कृस्यकरण किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) । य उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई टेलीफोन व्यवस्था

*१०५. **श्री कजरोल्कर** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हे कि बम्बई में टेलीफोन व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण है ; तथा

(ग) बम्बई टेलीफोन व्यवस्था को बढ़ाने तथा नवीकरण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वह व्यवस्था काफी संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है किन्तु उस सीमा तक नहीं जितनी कि अपेक्षित है । वर्षा ऋतु में केवल व्यवस्था में खराबी के कारण कुछ अस्थायी विलम्ब हो गया ।

(ख) बम्बई में एक्सचेंज एक्विपमेंट (उपकरण) पुराना है और इसकी कार्यक्षमता समाप्त हो चुकी है ।

(ग) ६,९०० लाइनों का नया उपकरण लगा दिया गया है , जिनमें से ३,१०० लाइने पुराने उपकरण के स्थान पर लगाई गई हैं । नये उपकरण के अतिरिक्त १,४०० लाइनों के लगाने के कार्य में प्रगति हो रही है ।

७,२०० लाइनों के लिये व्यादेश दे दिये गये हैं और उपकरण के दिसम्बर, १९५३ में आने की आशा है ।

बिमली पटसन

*९०६. **श्री राजगोपाल राव** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को बिमली पटसन को बेचने के सम्बन्ध में श्रीकाकुलम तथा विशाखापटनम के पटसन पैदा करने वालों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या सरकार को बिमली पटसन के बेचने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार की कोई सिपारिशें मिली हैं और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार उन्हें सदन पटल पर रखने का है ?

(ग) क्या सरकार का विचार बिमली पटसन की किस्म को आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान की पटसन के स्तर तक विकास करने का है और यदि ऐसा है तो किस प्रकार ?

(घ) क्या सरकार को बिमली पटसन की किस्म का विकास करने के विषय में मद्रास सरकार की सिपारिश प्राप्त हुई है, और यदि ऐसा है तो ये कौन सी सिपारिशें हैं ?

(ङ) क्या सरकार सदन पटल पर रखने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां। मई १९५२ में श्री काकुलम जिला पटसन उत्पादक संघ द्वारा सरकार को एक अभ्यावेदन किया गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि फ़सल के न्यूनतम दाम निंधारित किये जायें और मिल मालिकों को उत्पादकों के पूरे माल को खरीदने के लिये बाध्य करके इन्हें लागू किया जाय।

(ख) जी हां। मद्रास सरकार से परामर्श कर लेने के पश्चात् मैं उन्हें सदन पटल पर रखने के प्रश्न पर विचार करूंगा।

(ग) बिमली पटसन की किस्म के विकास करने के सम्बन्ध में सरकार तो पहिले से ही कार्यवाही कर रही है। १९४९ में मद्रास के श्रीकाकुलम तथा विशाखापटनम जिलों में उत्पादकों की भूमि में अच्छी किस्म की पटसन का प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ किया गया था। उन प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं थे। यदि वंसधारा तथा नागावलि नदी परियोजनाओं का प्रस्तावित विकास कार्य चल जाता है, तो मद्रास के इस भाग में बहुत बढ़िया किस्म की पटसन की सफलतापूर्वक खेती करना सम्भव हो सकेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह उत्पन्न नहीं होता।

नाविक (वियुक्ति प्रमाणपत्र)

३१५. श्री बाल्पाल : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नाविकों की कुल संख्या, जिनको ३१ दिसम्बर, १९५१ तक बम्बई तथा कलकत्ता के बन्दरगाहों में (सतत वियुक्ति प्रमाण पत्र) दिये गये हैं ; तथा

(ख) इनमें से कितने पाकिस्तानी तथा पुर्त्तगाल के प्रजाजन थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। कलकत्ता तथा बम्बई के बन्दरगाहों में नाविकों को सतत वियुक्ति प्रमाण पत्र देने की प्रथा बहुत पुरानी है और ऐसे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं जिनसे यह पता लग सके कि जब से यह प्रथा चलाई गई तब से अब तक जारी किये गये सतत वियुक्ति प्रमाण पत्रों की कुल संख्या कितनी है। फिर भी, बम्बई तथा कलकत्ता में वास्तव में समुद्र यात्रा करने वाले तथा जिनके पास सतत वियुक्ति प्रमाण पत्र हैं उनके अनुमानित आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :–

बम्बई	३८,०००
कलकत्ता	४५,०००

इनमें से पाकिस्तानी तथा पुर्त्तगाल क प्रजाजन अनुमानित रूप से इस प्रकार हैं :–

	पाकिस्तानी	पुर्त्तगाल के प्रजाजन
बम्बई	१,०००	१२,०००
कलकत्ता	२८,५००	१,५००

सरकार ने १९४७ से अप्रैल १९५० तक नये सतत वियुक्ति प्रमाण पत्रों के दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। अप्रैल १९५० से जारी किये गये सतत वियुक्ति प्रमाण पत्रों की संख्या इस प्रकार है :–

बम्बई	३७४६
कलकत्ता	२३३८

इनमें से पाकिस्तानी तथा पुर्त्तगाल के प्रजाजन इस प्रकार थे :–

	पाकिस्तानी	पुर्त्तगाल के प्रजाजन (गोआवासी)
बम्बई	कोई नहीं	१०८८
कलकत्ता	२५	३५

रेल दुर्घटनायें

३१६. श्री दाभी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में रेल दुर्घटनाओं की संख्या क्या थी ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या थी ;

(ग) मृत व्यक्तियों की संख्या क्या थी ;

(घ) सरकारी सम्पत्ति तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई थी ;

(ङ) सरकार द्वारा क्षतिपूर्त्ति के रूप में कितना धन दिया गया था ; तथा

(च) ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इन दुर्घटनाओं के लिये दोषी पाये गये तथा जिन्हें न्यायालय में दण्ड मिला अथवा जो विभागीय कार्यवाही के कारण नौकरी से निकाल दिये गये ?

रेल तथा यातायात उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क) १६ बड़ी दुर्घटनायें हुईं, अर्थात मुसाफिर गाड़ियों के साथ दुर्घटनायें हुईं जिनमें प्रत्येक मामले में मुसाफिरों की मृत्यु हुई तथा अथवा बड़ी बड़ी चोटें लगीं तथा । अथवा रेलवे की सम्पत्ति को लगभग २०,००० रुपये अथवा इससे अधिक हानि हुई ।

(ख) २०९ व्यक्ति घायल हुए थे, अर्थात ४० को बड़ी चोटें आईं और १६९ को छोटी-छोटी चोटें लगीं ।

(ग) ४६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(घ) रेलवे सम्पत्ति को लगभग ५,९३,५०० रुपये की हानि हुई थी । जहां तक विदित है, गैर-सरकारी सम्पत्ति को ७,६०० रुपये तक की हानि हुई ।

(ङ) १,०४,५७८ रुपये ।

(च) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट १६ दुर्घटनाओं में से ९ मामलों के लिये कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था । शेष ७ मामलों में १४ कर्मचारी उत्तरदायी ठहराये गये । उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है :–

अनुशासनात्मक कार्यवाही–	रेल कर्मचारियों की संख्या
(१) न्यायालयों में पुलिस द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमों के परिणामों की प्रतीक्षा	१०
(२) जो अब समाप्त होने वाले हैं	२
(३) पहिले ही कार्यवाही की गई (कड़ी चेतावनी दी गई)	१
(४) दुर्घटना में ही मारे गये	१
कुलयोग	१४

ए० पी० योजनायें

३१७. **श्री टी० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५२ तथा अगस्त, १९५२ में शहरी क्षेत्रों में पूर्ण राशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ए० पी० योजनाओं के अन्तर्गत तथा पूर्ण राशन वाले व्यक्तियों की जनवरी, १९५२ तथा अगस्त १९५२ में क्रमश : कुल संख्या कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) । एक विवरण, जिसमें यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

महीने	शहरी क्षेत्रों में पूर्ण राशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या	ग्रामीण राशनिंग योजना के अन्तर्गत जन संख्या	
		ए० पी० योजनाओं तथा सहायतार्थ कोटे वाली दुकानों के अन्तर्गत	पूर्ण राशन के अन्तर्गत
जनवरी १९५२	३९,०८०,०००	४६,८९९,०००	७,५६८,०००
अगस्त १९५२	२४,१०१,०००	६०,८९५,०००	७,७०३,०००

फोर्ड फाउंडेशन सहायता योजना (प्रशिक्षण केन्द्र)

३१८. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउंडेशन सहायता योजना के अन्तर्गत पांच प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी सेवाओं से किस प्रकार कार्य लिया गया है ; तथा

(ग) क्या ये परियोजना क्षेत्र अपने कर्मचारियों को उन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षा दिलवाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) उन्नासी ।

(ख) उन्हें सामुदायिक योजनाओं में लगा लिया गया है ।

(ग) अभिप्राय यह है कि सामुदायिक योजनाओं के सभी कर्मचारियों को अन्ततोगत्वा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण मिले । फिर भी शुरु में, क्योंकि परियोजना क्षेत्रों में अपेक्षित सभी कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है, कुछ कर्मचारियों को, जो कि मुख्य रूप से राज्य के कृषि सह-कारी तथा शिक्षा विभागों से लिये गये हैं, परियोजनाओं को चलाने के लिये नियुक्त किया गया है, जो कि प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों के अतिरिक्त हैं ।

कोयला खानों में स्नानागार

३१९. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ और १९५२ में कोयला खानों

में स्नानागारों के निर्माण कार्य के हेतु आर्थिक सहायता के रूप में बिहार के कोयला खानों के मालिकों को कितना धन दिया गया है ?

(ख) उन वर्षों में बिहार में कोयला खानों में कितने स्नानागार बनाये गये हैं और किन किन कोयला खानों में ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) किसी कोयला खान को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

(ख) निम्नलिखित कोयला खानों में १९५१ तथा १९५२ में क्रमशः छै और ग्यारह स्नानागार बनाये गये हैं :–

१९५१
एकरा खास
लोदना
भूलनबरारी
बंगाल झरिया
जोगता
सिरका

१९५२
नूनडीह-जीतपुर
दक्षिण बलारी-कोंडवाडीह
गुलफरबाड़ी
नीलगोरा बरारी
भूत गोरिया
नयू मेरीन
खड़रबाड़ी
लोयाबाद
साल्तोर
न्यू बांसदेव पुर
धनसार

कच्चा पटसन (उत्पादन व्यय)

३२०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ और १९५२ में भारत में प्रति मन कच्चे पटसन का उत्पादन व्यय क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पटसन के उत्पादन व्यय में स्थान स्थान पर तथा किस्म किस्म में अन्तर है । भारतीय कन्द्रीय पटसन समिति ने कुछ केन्द्रों के आंकड़े तैयार किये जिन से यह पता लगता है कि १९५१ में उन केन्द्रों में पटसन का औसतन उत्पादन व्यय लगभग २९ लाख रुपये था । चूंकि सभी आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, १९५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

वैगनों में से चोरी

३२१. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५२ के मई, जून, जुलाई तथा अगस्त के महीनों में पूर्वी रेलवे के वैगनों से भेजे जाने वाले माल की कितनी बार चोरी हुई ; तथा

(ख) इन चोरियों के कारण इस रेलवे को कुल कितने धन की हानि हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२ के मई, जून, जुलाई तथा अगस्त के महीनों में पूर्वी रेलवे के वैगनों से माल की जितनी चोरियों की रिपोर्टें आई हैं उनकी संख्या क्रमशः २८८, २६७, ३२१ तथा २७३ थी ।

(ख) इन चोरियों के कारण कुल अनुमानित हानि २,८७, २६८ रुपये है । चूंकि चलती गाड़ियों में की गई चोरियों के दावों का खंडन किया जायगा अतः इससे रेलवे को वास्तविक कितनी हानि हुई इसका इस समय निश्चय नहीं किया जा सकता ।

छोटे सिंचाई कार्य

३२२. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में गहन कृषि योजना के अन्तर्गत छोटे सिंचाई योजना कार्यों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ; तथा

(ख) उसी अवधि में सरकार तथा काश्तकारों के अंशदानों में क्या अनुपात है ?

कृषि तथा खाद्य मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण, जिसमें १९४७-४८ से १९५१-५२ तक प्रत्येक राज्य में छोटे सिंचाई के कार्यों पर भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६**]

जहां कहीं भी वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं वहां स्वीकृत व्यय के आंकड़े दे दियें गये हैं।

(ख) काश्तकारों से व्यय के लिये अंशदान केवल गैर-सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में लिया जाता है। लिये गये वास्तविक अंशदान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

३२३. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खान में काम करने वाले मजदूरों के लिये सरकार ने भारत में विशेषकर राजस्थान में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : १९४८ का न्यूनतम मजूरी अधिनियम किसी अभ्रक खानों की नौकरी पर लागू होता है। ये खानें मद्रास, बिहार, अजमेर तथा राजस्थान राज्यों में हैं। अभ्रक खान मज़दूरों के लिये मजूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार राज्य सरकारों को दे दिये गये हैं और उन्होंने इन दरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया है।

अभ्रक खानें (दुर्घटनायें)

३२४. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता** : (क) क्या श्रम मंत्री गत पांच वर्षों में बिहार, मद्रास तथा राजस्थान राज्यों की अभ्रक खानों में होने वाली दुर्घटनाओं तथा उनसे हताहत होने वाले व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे।

(ख) उन्हें किस प्रकार क्षतिपूर्त्ति हो गई थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७**]।

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप लगने वाली चोटों तथा उससे होनेवाली मृत्यु के मामलों में क्षतिपूर्त्ति देने का विषय मजदूर क्षतिपूर्त्ति अधिनियम, १९२३ के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है, अथवा वैसे ही विधान के अन्तर्गत आता है जो पहिली अप्रैल १९५१ से पूर्व उन रियासतों में, जो अब राजस्थान का भाग बन गई हैं, लागू रहा होगा। चूंकि इस अधिनियम को राज्य सरकारें लगाती हैं, भारत सरकार के पास ठीक सूचना नहीं है।

फैक्टरी अधिनियम, १९४८

३२५. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कैन्टीनों, शिशुशालाओं तथा विश्राम गृहों के सम्बन्ध में फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों को अब तक कितने राज्यों में लागू किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : फैक्टरी अधिनियम, १९४८ को लगाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और इसलिये उन फैक्टरयों के, जिनमें कैन्टीनों, शिशु-शालाओं, विश्रामगृह आदि की व्यवस्था नहीं है, सम्बन्ध में विस्तृत सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। भोपाल और मनीपुर राज्यों को छोड़ कर सभी राज्य-सरकारों नें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये हैं और उन्हें लागू किया है। कैन्टीनों तथा शिशु-शालाओं के सम्बन्ध में नियमों को कार्यान्वित करने से, बहुत से मामलों में, नई इमारतें बनानी पड़ेंगी जिससे कि इस्पात तथा सीमेंट जसे इमारत बनाने के नियंत्रित सामान को देना पड़ेगा। इसमें समय लगता है और इसलिये अधिकांश राज्य सरकारों के फैक्टरी नियमों में उन तिथियों को अधिसूचित करने का उपबन्ध है जब कि ये सुविधायें दी जानी चाहियें।

फैक्टरियां (बढ़ाना)

३२६. **श्री रामस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भाग 'क', 'ख' तथा 'ग' के प्रत्येक राज्यों के फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षकों द्वारा फैक्टरी अधिनियम, १९४८ की धारा ६ के उपबन्धों के लागू किये जाने के बाद से नई फैक्टरियों को बनाने अथवा वर्तमान फैक्टरियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : चूंकि फैक्टरी अधिनियम लागू करने का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिये मांगी गई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

३२७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना को चलाने के लिये पश्चिमी बंगाल के लिये राज्य बोर्ड स्थापित कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) जैसे ही केन्द्रीय सरकार इस योजना को सुचारु रूप से चला लेगी। इस में एक वर्ष लगेगा। इस बीच में, जैसा कि योजना के पैरा ४ में रखा गया है, एक प्रादेशिक समिति स्थापित की जायगी। समिति के लिये नामनिर्देशन मांगने के लिये पहिले ही कार्यवाही की गई है।

हैजा, प्लेग तथा चेचक

३२८. **श्री वीरस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से राज्य हैं जहां हैजा, प्लेग तथा चेचक बहुधा होते हैं ;

(ख) गत वर्ष (१९५१-५२) (राज्य-वर्ग) इन संक्रामक रोगों में प्रत्येक के कितने व्यक्ति शिकार हुए ;

(ग) इन में से प्रत्येक संक्रामक बीमारी के कारण कितनी मृत्यु हुई हैं ; तथा

(घ) क्या यह अनुपात गत वर्ष से कम हो रहा है अथवा बढ़ रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) हैजा और चेचक भारत के प्रायः सभी राज्यों में होते हैं। यथार्थ सूचना केवल भाग 'क' राज्यों तथा दिल्ली,

अजमेर और कुर्ग के भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध है । प्लेग अधिकतर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में होता है और यह अजमेर, आसाम कुर्ग तथा दिल्ली प्रायः नहीं होता।

(ख) तथा (ग) । चूंकि वास्तविक मामले बहुत अधिक संख्या में बताये नहीं जाते हैं, अतः इन संक्रामक बीमारियों से प्रत्येक के कितने व्यक्ति शिकार हुए इस विषय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी इन बीमारियों से होने वाली मृत्यु के विषय में जो सूचना दी जाती है वह अधिक संतोष-जनक है। एक विवरण, जिसमें वर्ष १९४८ तथा १९५० में हैजे, चेचक तथा प्लेग के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २८**]

इन सब राज्यों के १९५१ के अन्तिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) चूंकि अनुपात के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिये यह तुलना सम्भव नहीं है।

टेलीग्राफ तथा टेलीफोन एक्सचेंज

३२९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ तथा १९५२ में हैदराबाद राज्य में खोले गये नये टेलीग्राफ कार्यालय तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या कितनी है और वे किन स्थानों पर हैं ?

(ख) क्या ये कार्यालय आत्म-निर्भर हैं और यदि नहीं, तो इन वर्षों में सरकार द्वारा कुल कितना अतिरिक्त धन व्यय किया गया था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९**] ।

(ख) सभी आत्म निर्भर हैं ।

नल कूप

३३०. **डा० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-अमरीकी करार के अन्तर्गत जिन नल कूपों को बनाने की प्रस्तावना है उसमें पम्पिग सेट के व्यय को मिलाकर एक नल कूप को बनाने का अनुमानित व्यय क्या है ; तथा

(ख) कौन सी चीज़ें देश की बनी हुई हो सकती हैं और उन में से प्रत्येक का क्या मूल्य है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत-अमरीकी करार के अन्तर्गत ३०० फुट गहराई के प्रमाणिक नल कूप बनाने का, जिसमें पम्पिग सेट तथा ट्रांसफ़ौर्मर का लगभग मूल्य १,६०० रुपये सम्मिलित है, अनुमानित मूल्य २९,००० रुपये है । वास्तविक खर्च नल कूप की गहराई पर निर्भर करेगा ।

(ख) पम्पिग सेट तथा वितरण (डिस्ट्रीब्युशन) ट्रांसफ़ौर्मर्स देशी बने हुए हो सकते हैं । देशी बनी हुई इन दो चीज़ों का अनुमानित मूल्य ५,७०० तथा २,००० रुपये है ।

मृत्यु अनुपात

३३१. **श्री ई० इय्यानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में प्रति १,००० व्यक्तियों के पीछे मृत्यु अनुपात क्या है ; तथा

(ख) अन्य देशों की तुलना में यह कम है या अधिक है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०**]।

उससे यह पता लगेगा कि अमेरिका, इंग्लैंड तथा लंका की तुलना में भारत में मृत्यु अनुपात अधिक है। फिर भी, पिछले बीस वर्षों में भारत में मृत्यु अनुपात में धीरे धीरे कमी होती रही है; इस अनुपात में १९४१-१९५० में बहुत अधिक कमी हुई है।

डाकखाना (सेविंग्स बैंक लेनदेन)

३३२. **श्री संगण्णा** : (क) क्या संचरण मंत्री उड़ीसा राज्य के उन डाक खानों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनमें सेविंग्स बैंक का लेन देन होता है ?

(ख) क्या सेविंग्स बैंक के लेन देन को ऐसे डाक खानों में खोलने का कोई प्रस्ताव है जहां ऐसी सुविधायें पहिले नहीं थी और यदि ऐसा है तो कब ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उड़ीसा राज्य में सेविंग्स बैंक का लेन देन करने वाले डाकखानों की संख्या यह है : ५ प्रधान कार्यालय, १८९ छोटे कार्यालय तथा ११२ शाखा कार्यालय।

(ख) जी हां, ३२ शाखा कार्यालयों को सेविंग्स बैंक का लेन देन करने का, जिसके लिये बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं अधिकार देने से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन है।

इन डाक खानों को सेविंग्स बैंक सुविधायें आवश्यक जांच पड़ताल तथा सेविंग्स बैंक के लेन-देन कार्य के लिए उपयुक्त अधिकारी प्राप्त हो जाने के बाद दी जायेंगी।

बी० सी० जी० केन्द्र

३३३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में बी० सी० जी० केन्द्रों की संख्या कितनी है, और जिन स्थानों पर वे चलाय जा रहे हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन केन्द्रों में टीका लगवाने वाले व्यक्तियों की प्रतिमास औसतन संख्या क्या हैं; तथा

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें इससे लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में चलाया जा रहा है :-

राज्य का नाम	उन जिलों के नाम जहां अक्टूबर, १९५२ में इस कार्य में प्रगति हो रही थी
१. मद्रास	मद्रास।
२. हैदराबाद	हैदराबाद, मेदक, बीदर, परभणी, नान्देड़, करीमनगर।
३. मैसूर	मैसूर, बंगलौर, चितरदुग।
४. त्रावनकोर-कोचीन	त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम।

(ख) तथा (ग)। बी० सी० जी० के टीके इलाज नहीं हैं किन्तु ये निरोधक टीके हैं। इन राज्यों में जिन व्यक्तियों की ट्यूबरकुलिन परीक्षा हुई उनकी औसतन संख्या लगभग १,००,००० प्रतिमास है। ३१ अक्टूबर, १९५२ तक इन राज्यों में जिन व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये उनकी कुल संख्या ४,४०,९८२ है और ऐसी आशा की जाती है कि इन सब व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ है।

नरला रोड और कांडेल रोड स्टेशन (बुकिंग सुविधायें)

३३४. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के रायपुर – विज़ियानगरम् भाग के नरला रोड और कांडेल रोड के स्टेशनों में मुसाफ़िर

तथा माल गाड़ियों के लिये बुकिंग कार्यालय खोलने के विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारत्मक हो, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नरला रोड में मुसाफिर तथा मालगाड़ियों के लिये बुकिंग कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु कांडेल रोड के सम्बन्ध में कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) नरला रोड के सम्बन्ध में जांच करने पर यह मालूम हुआ कि आर्थिक रूप से यह प्रस्ताव उचित नहीं था और इसलिये इसे छोड़ दिया गया । यद्यपि कांडेल रोड के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ था, किन्तु इस में मुसाफिर गाड़ी तथा माल गाड़ियों का यातायात आरम्भ करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

सांख्यकीय विभाग

३३५. श्री बी० एन० कुरील : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सांख्यकीय विभाग पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत दो संस्थायें अर्थात् अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यकी निर्देशालय और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् सांख्यकीय विभाग हैं जो क्रमशः (क) कृषि अर्थ व्यवस्था की जानकारी तथा सांख्यकी का विश्लेषण और प्रकाशित करने, तथा (ख) सांख्यकी अनुसन्धान, आंकड़े इकट्ठे करने की विकसित प्रणाली, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के परिणामों की जानकारी, कृषि तथा पशुपालन में विद्यार्थियों का स्नानोत्तर प्रशिक्षण तथा राज्यों और अनुसन्धान शालाओं में कृषि और पशुपालन में काम करने वाले अनुसन्धान-कर्त्ताओं को परामर्श देने के उपबन्ध के समबन्ध में कार्य करती हैं । १९५१-५२ में अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यकी निर्देशालय का, जिसका मुख्य कार्य सांख्यकीय की अपेक्षा अर्थ व्यवस्था से अधिक सम्बन्ध रखता है, वार्षिक व्यय ५.१५ लाख रुपये था और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सांख्यकीय विभाग का, जिसमें सांख्यकीय कार्य के विशेषज्ञ हैं, व्यय १.१५ लाख रुपये था ।

रेलवे लाइनें

३३६. श्री एन० एल० जोषी : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी रेलवे लाइनें अभी तक गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती हैं ?

(ख) इस लाइनों का क्या खर्चा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]** ।

पटसन उत्पादन

३३७. श्री एन० बी० चौधरी: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में जनवरी १९४९ से मार्च १९५२ तक की कालावधि में धान की खती वाली कितनी भूमि में पटसन की खेती की गई ?

(ख) इस भूमि परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप पटसन की कितनी अतिरिक्त मात्रा पैदा की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भमि के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विषद् परिमाप के अभाव में इस बात का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन दो वर्षों में धान की कितनी भूमि पटसन की पैदावार के लिये विकर्षित गी गई थी। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन के आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल में धान की भूमि का पटसन की खेती के लिये इन दो वर्षों में जो अधिकतम शुद्ध विकर्षण हुआ होगा वह २.२५ लाख एकड़ हो सकता है। वास्तविक भूमि विकर्षण काफी कम हो सकता है क्योंकि उपरोक्त आंकड़ें इस धारण पर आधारित हैं कि पटसन की खेती जितनी और अधिक एकड़ भूमि में की गई थी वह धान की खेती के स्थान पर की गई थीं और न इसके लिय बंजर तथा पड़ती भूमि काम में लाई गई थी और न ऐसा दुहरी फसल के करण है।

(ख) ५ से ६ लाख गांठें जो प्रत्येक ४०० पौंड की हैं। फिर भी, यह प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये उन्हीं निर्बन्धनों के अधीन हैं।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
३ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सुचित करना है कि श्री एस० जी० पारिख ने अपने एक पत्र में मुझे लिख कर भेजा है कि चूंकि उन्हें दिल का दौरा हो गया है और डाक्टरों उन्हें आराम करने के लिये कहा है इसलिये वह इस सत्र में अनुपस्थित रहेंगे। क्या सदन उन्हें अनुपस्थित की अनुमति प्रदान करता है ?

अनुमति दी गई।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल पश्चिम कटक) : कल जब सदन की बैठक समाप्त हुई तो मैं श्री त्रिदीप कुमार चौधरी द्वारा कही गई आंग्ल-अमरीकी साम्राज्य वाद की बात का उत्तर दे रहा था। इस प्रश्न का विधेयक से कोई संबंध नहीं है परन्तु चूंकि उसका कुछ माननीय सदस्यों ने कई बार जिक्र किया है इसलिये मैं भी यह बताना ठीक समझता हूं कि आखिर उन लोगों ने इस प्रश्न को क्यों उठाया। यदि आप दो महीने पहले वाली बात याद करें तो आपको पता लगेगा कि कामरेड स्टालिन ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को हर देश की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद करनी चाहिये और वह यह मदद करगी। दूसरी बात जिसकी कामरेड स्टालिन आशा करते हैं वह यह है कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की सहायता मिलेगी। इन सब का मतलब यह है कि यद्यपि इस के अन्य देशों के साथ दैतिक संबंध है परन्तु फिर भी वह उन देशों में अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे वर्ग को उक्सा रहा है जो अपने ही राज्य को या अपने ही देश को नुक़सान पहुंचाने में अधिक रुचि रखता है और जो बजाय अपने देश की या जनता की स्वतंत्रता अथवा सुरक्षा पर ज़ार देने के उसको दूसरों का दास बनाने की ओर ही कार्यवाही कर रहा है। यह एक बहुत ख़तरनाक नीति है। श्री ए० के० गोपालन ने भी अपने भाषण में यह कहा था कि सारे विश्व के मज़दूर और दलित व्यक्ति अपने कल्याण के लिये रूस की तथा स्टालिन की ओर ही देखते हैं और उनका विश्वास है कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी या उसके नेता स्टालिन द्वारा जो नीति अपनाई गई है वही नीति विश्व में शान्ति,

[श्री सारंगधर दास]

स्वतंत्रता तथा समाजवादी स्थापित कर सकती है। मैं यह स्वयं इसलिये कह रहा हूं कि श्री त्रिदीप कुमार चौधरी ने आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद के बारे में कई बार इस सदन में चर्चा की है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस साम्राज्यवाद से बढ़ कर एक और खतरा है और यह वह खतरा है जिसको मैं ऊपर निर्दिष्ट कर चुका हूं।

मैं अब विधेयक पर आता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जब तक उन फ़र्मों के नाम हमें नहीं बताये जाते जो ऋण के लिये आवेदन करते हैं और जिन्हें ऋण दिया जाता है तब तक हम इस विषय में कोई ठोस या सारपूर्ण बहस नहीं कर सकते हैं।

संशोधक विधेयक के खंड १३ के अनुसार, जो मूल अधिनियम की धारा २४ में संशोधन करता है, ५० लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपया कर दिया गया है। वित्त मंत्री को हमें यह बताना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे डर है कि कहीं यह रुपया भी पहले ५० लाख रुपये की तरह बेकार न खर्च कर दिया जाये। यदि इस रुपये को जहाज़रानी, इंजीनियरी वर्कशाप जैसी चीज़ों पर खर्च किया जाय, जो औद्योगिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है, तब तो ठीक है, परन्तु यदि इसको उपभोक्ता वस्तुओं के जैसे, कपड़ा, चीनी आदिके बनाने पर खर्च किया गया तो यह पैसा फेंकना होगा।

फिर, मैं समझता हूं कि ऋण मंजूर करने में प्रदेशों पर ज़ोर नहीं दिया गया है। कुछ प्रदेशों को जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, ऋण देने और उद्योगों को स्थापित करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ऐसा करके सरकार विभिन्न उद्योगों को देश भर में फैला सकेगी।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : सदन के अधिकतर सदस्यों का यह मत है कि औद्योगिक वित्त निगम ने संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम इतने बड़े पैमाने पर पहली बार १९४८ में स्थापित किया गया। इस से पहले जो निगम था वह अपने कार्य में बुरी तरह असफल रहा। जब यह वर्तमान निगम भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित हुआ तो इससे सबों को बहुत कुछ आशायें थीं। चूंकि यह आशायें पूरी न हो सकी संभवतः इसलिये सदन में इसके प्रति इतना असंतोष है।

औद्योगिक वित्त निगम का काम पूरी सावधानी से किया जाना चाहिये। इसके कार्य के बारे में पूरी पूरी जांच करने का अधिकार सदन के सदस्यों को होना चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि आप की बहस इसी बारे में होती रही कि माननीय मंत्री ने उन फ़र्मों के नाम क्यों नहीं बतलाये जिन्हें क़र्जा दिया गया था।

[**श्री पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस बात की बहस करना हमें शोभा नहीं देता। मैं यह मानता हूं कि इस सदन को ऐसे किसी भी निगम या संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये जिसमें सरकार का वित्तीय रूप से या किसी अन्य प्रकार से संबंध हो। मैं तो समझता हूं कि सबसे बढ़िया तरीक़ा यह होता कि सदन पटल

पर उन कम्पनियों के लेखा-विवरण रख दिये जाते जिन्हें क़र्ज दिये गये हों क्योंकि लेखा-बिवरण सार्वजनिक सम्पत्ति है और उनकी प्रतिलिपियां राज्यों के ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त हो सकती हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम ने ५ करोड़ रुपये की चुकाई गई पूंजी से अपना काम प्रारंभ किया परन्तु जिस समय निगम को स्थापित किया गया उस समय इससे बहुत कुछ आशायें थीं । यह आशा की जाती थी कि जब कभी निगम औद्योगिक विस्तार के या नये उद्योगों के स्थापित करने के बारे में किसी योजना का समर्थन करेगा तो इस के समर्थन से ही उस कम्पनी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ सकेगी । परन्तु दुर्भाग्य से यह स्थिति न आ सकी । औद्योगिक वित्त निगम का काम केवल वित्तीय सहायता देना ही नहीं है । निगम का महत्व तो इसमें है कि जिस किसी प्रस्तावित उद्योग के बारे में वह अपनी स्वीकृति दे दे उसमें लोगों को पूरा विश्वास हो जाये । निगम को यह महत्व अभी प्राप्त नहीं हुआ है । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात की ओर ध्यान देंगे ।

औद्योगिक वित्त निगम ग़ैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के स्थापित करने का एक बहुत बड़ा साधन है । योजना आयोग के अनुसार अगले तीन या चार वर्षों के गैर सरकारी उद्योग को २५० या ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । निगम स्वयं तो इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं कर सकता परन्तु वह लोगों में विश्बास की भावना भर कर इस रुपये का प्रबन्ध करवा सकता है ।

औद्योगिक वित्त निगम के सफ़ल होने का एक कारण यह है कि निगम का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है जहां सरकारी कार्यालयों का वातावरण है ; निगम का प्रधान कार्यालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां वातावरण वाणिज्यिक हो । दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि निगम ने औद्योगिक विकास की ओर कुछ निष्क्रिय व्यवहार अपनाया ।

वित्त निगम का एक काम यह भी है कि वह विशेषज्ञों का एक दल स्थापित करे जो निगम के पास भेजे जाने वाले प्रस्तावों की छान बीन करे और अपनी राय दे । परन्तु अभी तक इस दल को व्यवस्था नहीं दी गई है । यदि हम चाहते हैं कि वित्त निगम अपने कार्यों को पूरी तरह से करना शुरू करे तो विशेषज्ञों के इस दल को बनाना बहुत आवश्यक है । यह दल राज्य के वित्त निगमों को भी परामर्श तथा सहायता दे सकेगा । निगम अब तक केवल तीन लाख रुपये की रक्षित निधि जमा कर सका है । यह राशि बहुत कम है । विधेयक के अनुसार रिज़र्व बैंक अथवा सरकार को दिया जाने वाला डिविडेंड या व्याज एक अलग रक्षित निधि के रूप में रखा जायगा । यदि रिज़र्व बैंक और सरकार इस व्याज को छोड़ भी दें तो भी १५ या बीस वर्ष के बाद वह ५० या ६० लाख रुपये जमा कर सकेगा । यह स्थिति असंतोषजनक है । निगम की रक्षित निधि में किसी प्रकार से वृद्धि की जानी चाहिये । मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और निगम की रक्षित निधि को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री एच० एन० मूखजी : इस विधेयक पर जो बहस हुई है उसको देख कर पता चलता है कि जिस उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम को स्थापित किया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा है । सरकार ने इस बारे में जो नीति अपनाई है उससे प्रकट होता है कि

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

वह भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितों का ही अधिक ध्यान रख रही है । यह उद्योगपति विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं और भारत के औद्योगिक विकास के प्रति इन्हें विशेष सहानुभूति नहीं है । यही कारण है कि सदन के सदस्यों ने इस निगम के बारे में पूरी जानकारी मांगने पर ज़ोर दिया था । परन्तु सरकार ने इतना कहने पर भी वह बातें न बतलाई जिनको हम जानना चाहते थे । हमें बंगाली पत्र 'युग वाणी' से पता चला कि निगम ने किस किस फ़र्म को कितना कितना क़र्ज़ा दिया । इस पत्र का कहना है कि इनमें से अधिकांश फ़र्म ऐसी हैं जिनको भारत के दो बहुत बड़े उद्योगपतियों के, जिनमें निगम के अध्यक्ष भी शामिल हैं, संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह इसकी जांच करें और मालूम करें कि इसमें कहां तक सचाई है । सरकार को चाहिये था कि वह लोगों का संदेह मिटाने के लिये पूरी जानकारी के साथ सदन के समक्ष आती । फिर, इस बारे में प्रधान मंत्री ने बार बार यह कहा कि वित्त मंत्री ने इस विषय में कुछ वचन दे रखे हैं और उनकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता । मेरी राय में यह चीज़ मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व के बिल्कुल विरुद्ध है । इतने महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में तो सारे मंत्रियों को उत्तरदायी होना चाहिये फिर, इसके अलावा प्रधान मंत्री वित्त मंत्री से टेलीफ़ोन पर भी बात कर सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया गया । इसीलिये हमें सारी प्रक्रिया के बारे में कुछ संदेह होता है ।

जैसा मैंने कहा हम समझते हैं कि औद्योगिक वित्त निगम भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही ध्यान रखता रहा है । इस स्थिति से हमें बड़ी चिन्ता है । पूंजीपति तो खूब पैसा कमा रहे हैं परन्तु मज़दूरों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं । किसी भी बड़ी फ़र्म को लीजिये ; पिछले कुछ सालों में सबों ने बड़ा मुनाफ़ा कमाया परन्तु मज़दूरों को उन्होंने कोई विशेष फ़ायदा नहीं पहुंचाया बल्कि उनके बारे में तो नियमों को और अधिक कठोर ही बना दिया गया है । इसके अलावा, हम देखते हैं कि यह बड़े बड़े उद्योगपति वित्त निगम से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । गत वर्ष पूंजीगत वस्तुओं को बनाने वाली कोई फ़ैक्टरी स्थापित नहीं की गई । केवल छोटी छोटी चीज़ों जैसे लालटेन, रेज़र ब्लेड, छोटे मोटर आदि बनाने वाली फ़ैक्टरियां ही स्थापित की गई । यह है हमारे औद्योगिक विकास की हालत और यह है वह तरीक़ा जिसके अनुसार हमारा वित्त निगम कार्य कर रहा है । वित्त निगम द्वारा पैसा भी बड़े अनुचित ढंग से खर्च किया जाता है । औद्योगिक विकास की जो स्थिति है , उससे तो हम कह सकते हैं कि यह निगम अपने किसी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है । निगम के अध्यक्ष ने अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ मामलों में निगम ने अपने क्षेत्र के बाहर जा कर कुछ काम किये थे । उन्होंने कहा कि उसने कुछ फ़र्मों की कर्मवाहक पूंजी की व्यवस्था करने का भी प्रयत्न किया था । हम जानना चाहते हैं कि निगम के किन किन मामलों में अपने क्षेत्र से बाहर काम किया ।

जैसा हम जानते हैं सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही ध्यान रखती रही है । उसने उनको करों के बारे में सुविधायें दी हैं परन्तु उपभोक्ता को, साधारण व्यक्ति को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है । उस पर तो कर बढ़े ही हैं । अब इस विधेयक के

द्वारा इन उद्योगों को रुपया देने की व्यवस्था भी की जा रही है। विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है कि हमारा देश विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करेगा।

श्रीमान्, यह विश्व बैंक का मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि विश्व बैंक अमरीकी साम्राज्यवाद को फैलाने का एक साधन मात्र है। विश्व बैंक पूर्ण रूप से अमरीकनों के हाथ में है। उसमें सब से अधिक शेयर अमरीका के हैं और बिना अमरीकी सरकार की इच्छा के इसमें से ऋण लेना असंभव है। भारत ने विश्व बैंक से कई ऋण लिये हैं। हम उन पर ४ प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं, जो कम नहीं है। आम तौर पर यह ऋण अमरीका में ही खर्च किये जाने के लिये दिये जाते हैं। यह एक बहुत गंभीर विषय है। यह विश्व बक हमारे देश के औद्योगीकरण के ख़िलाफ़ है। सदन को ज्ञात होगा कि किस प्रकार विश्व बैंक ने हमारे यहां इंजन बनाने का कारख़ाना स्थापित करने का विरोध किया था। यह बैंक अमरीकी पूंजीपतियों के कमीशन एजेन्ट के समान है और वह इस बात पर आग्रह करता है कि उसका ऋण अमरीका में ही सामान ख़रीदने पर ख़र्च किया जाये।

बुकारो थरमल स्टेशन बनाये जाने के बारे में भी विश्व बैंक ने काफ़ी हिस्सा लिया। जिस समय केन्द्रीय सरकार सिंचाई संबंधी योजनाओं के बनाने पर विचार कर रही थी उसी समय विश्व बैंक ने सहायता देने का प्रस्ताव किया। परन्तु उसने शर्त यह लगाई कि उसकी सहायता से बुकारो थरमल स्टेशन पहले बनाया जाये और उसके बनाने का काम जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को दिया जाये। उसने यह भी कहा कि बुकारो थरमल स्टेशन के काम पर निगरानी रखने के लिये एक अन्य अमरीकी फर्म, कुलजियान कारपोरेशन को नियुक्त किया जाये। इस सब का परिणाम यह हुआ कि देश में खाद्य के उत्पादन संबंधी कामों को छोड़ कर हमारा रुपया अमरीका भेजा जाने लगा। कुलजियान कारपोरेशन हर दो महीने बाद विश्व बैंक को रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के बारे में सरकार तक को पता नहीं है।

हम यह भी देखते हैं कि विश्व बैंक अमरीकी विदेशी नीति को ध्यान में रख कर ही देशों को ऋण देता है। वह पहले मौक़ा देखता है फिर ऋण देता है। भारत को भी विश्व बैंक ने मौक़ा देख देख कर क़र्ज़ा दिया है। पहली बार विश्व बैंक ने भारत को क़र्ज़ा उस समय दिया था जब हमारे प्रधान मंत्री वहां जाने वाले थे। उस समय भारत के प्रति व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा था, परन्तु जनमत को अपनी ओर करने के लिये अमरीका ने ऋण देने के लिये वह समय अच्छा समझा। तो हम देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके पीछे अमरीका की विदेशी नीति होती है। इन सब बातों को कहने से मेरा मतलब यही है कि यह विश्व बैंक अमरीकी साम्राज्यवाद का एक केवल एजेंट है और इसके साथ संबंध स्थापित करने में हमें बड़ी सतर्कता से काम करना चाहिये। इसी प्रकार हमारे यहां इस्पात की फैक्टरी स्थापित करने के बारे में अमरीकनों का ध्येय यही है कि किसी प्रकार वह हमारे इस्पात उद्योग में अपनी कुछ पूंजी लगा सकें। अभी हाल में हमारे यहां विश्व बैंक का एक शिष्ट मंडल आया था जिसके नेता इस्पात नियात जार्ज डी० वुड्स थे। इस इस्पात मिशन ने भारत सरकार को तथा ग़ैर सरकारी निर्माताओं को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें विश्व बैंक से इस्पात तथा लोहे के नये कारख़ाने स्थापित करने में पूरी पूरी सहायता मिलेगी।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

परन्तु अब इन लोगों की कोशिश यह है और वे इस बात को कहते भी हैं कि हम तब ही सहायता देंगे जब कि हमें भारत में घुसने की तथा वहां के संसाधनों पर नियत्रंण रखने की पूरी पूरी सुविधायें दे दी जायेंगी। तो ऐसी बातें इस समय चल रही हैं। इस विश्व बैंक से संबंध रखने में हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा।

इसके बाद टेकनिकल विशेषज्ञों का प्रश्न है। श्री शाह ने अपने भाषण में कहा था कि यह विशेषज्ञ बाहर से बुलाये जायेंगे और वे हमारी परियोजनाओं की जांच कर के रिपोर्ट देंगे। उन्होंने यह तो नहीं बतलाया कि ये विशेषज्ञ कहां से आयेंगे परन्तु यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ही उन्हें भेजेगा। आप अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अपने यहां विशेषज्ञ बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वे हमारी योजनाओं पर रिपोर्ट दें। कुलजियान कारपोरेशन ऐसी रिपोर्टें भेज ही रहा है और सरकार को इस बारे में पता तक नहीं। इन टेकनिकल विशेषज्ञों से बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों से मिलकर देश की अर्थ व्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहां जहाज़रानी को सहायता देने का प्रस्ताव है परन्तु इस सहायता के बारे में हमें सावधानी से काम करना होगा। हमारे यहां के जहाज़ उद्योग और एक फ्रांसीसी कम्पनी में, जो वास्तव में अमरीकनों के हाथ में है, बड़ी खतरनाक सांठ गांठ है। इस फ्रांसीसी कम्पनी और हमारे यहां के हिन्दुस्तान शिप-बिल्डिंग यार्ड, विज़गापटनम् में एक ऐसा समझौता है जिसके अनुसार वह कम्पनी टेकनीकल विशेषज्ञों के घटाने में पूंजी पर—लाभ परनहीं—४ प्रतिशत वसूल करेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखे कि हमारा जहाज़ उद्योग विदेशियों के हाथों में न रहे।

अन्त में, मैं फिर से इस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि औद्योगिक वित्त निगम हमारे यहां औद्योगिक विकास करने में असफल रहा है। जिन उद्योगों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहायता नहीं दी जाती है, इसके विपरीत बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनका वित्त निगम से किसी न किसी प्रकार का संबंध है, यह सहायता मिल रही है। इसका एक उदाहरण बंगाल पौटरीज़ है। यह पौटरीज़ स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप स्थापित की गई थी और इसके लिये सैकड़ों लोगों ने आत्म बलिदान किया था परन्तु अब यह एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो देश की अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है और इसीलिये उसे सहायता मिल रही है। इस प्रकार की अनुचित बातें चल रही हैं। इससे हमारे देश को फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक हम विदेशियों के चंगुल से नहीं छूटते, जब तक हम ठीक दिशा में प्रगति नहीं करते तब तक इस औद्योगिक वित्त निगम से हमारे देश को लाभ नहीं हो सकता।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह हो जाने के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के पश्चात् ढाई बजे पुन समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : बाबू रामनरायण सिंह। मैं आशा करता हूं कि माननीय

सदस्य संक्षेप में बोलेंगे । मैं माननीय मंत्री से चार बजे बोलने के लिये कहूंगा ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आप के आदेशानुसार बहुत थोड़ा ही बोलूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : और मधुर भी ।

बाबू रामनारायण सिंह : हां, कुछ लोगों को तो मधुर भी लगेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिन के हाथ में अधिकार है उन को भी मधुर लगे ।

सभापति महोदय, जिस वक्त मेरे मित्र माननीय त्यागी जी बोल रहे थे तो इतने सुन्दर तरीके से बोल रहे थे कि उन्हों ने लोगों को कह दिया कि भाई जिस तरह से, जिस दिल से मैं बोल रहा हूं, उसी तरह से इसको समझो । मैं त्यागी जी को बहुत दिनों से जानता हूं । उधर जाने से वह धूर्त्त तो हो गया, मधुर भी हो गया । लेकिन मैं भाई त्यागी जी से कहूंगा कि काम ठीक से करो और ठगो मत । यह काम छोड़ दो, यह काम आप का पहले से नहीं था ।

सभापति महोदय, मैं एक ही बात बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बात यह है कि यहां चारों तरफ़ से यह मांग हो रही है कि इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से किन किन लोगों को ऋण दिया गया, उन के नाम बोल दो । सब की ओर से यह मांग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के बारे में कितनी बार बोल गये हैं । यह तो अब पुराना विषय हो गया है ।

बाबू रामनारायण सिंह : हां, लेकिन उस की व्याख्या मैं किये देता हूं कि यह जो लोगों की मांग है सो नाजायज मांग है, क्योंकि लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि यह जो सरकार है उस के सब काम पर्दे में होते हैं, गुप्त काम होते हैं । सरकार का काम आम तौर पर प्रकट रूप से और सब के लिये तो होता ही नहीं, कुछ लोगों के लिये होता है । सभापति महोदय, आप ने सुना होगा कि इस बार बहुत सी स्त्रियों को वोट देने का अख्तियार नहीं मिला । क्यों ? क्योंकि उन का नाम नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था जौजे फलां, या बेटी फलां । तो यह प्रथा तो हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से चली आती है कि बहुत सी स्त्रियां परदे में रहती हैं और उनका नाम लोग पबलिक में नहीं लेते हैं । आम तौर पर उन के बारे में कहना होता है तो कहते हैं जौजे फलां, या बेटी फलां । बस और कुछ नहीं । तो इधर जो मांग होनी चाहिये थी वह यह होनी चाहिये थी कि यह तो ठीक है कि जो कुछ ऋण तुम ने दिया है वह मालूम होता है कि ऐसे लोगों को दिया है कि जो परदे के अन्दर रहने वाली हैं, इसलिये उन का नाम तो नहीं कह सकते हो, लेकिन कम से कम यह तो बोल दो कि हम ने जो ऋण दिया है वह जोजे फलां या बेटी फलां को दिया है । कुछ तो बोल दो । मैं मंत्री महोदय से और जो सरकार के लोग हैं उन से कहूंगा कि भाई उन का कुछ नाम रखो । यह मैं मान लेता हूं कि यह ऐसे लोग हैं जो परदे में रहने वाली हैं, जिन का नाम आप नहीं कह सकते । तो यह तो सही बात है, मत कहो लेकिन जिन का नाम नहीं कहा जाता है उन के पति या पिता का नाम तो रख दिया जाता है । तो यह नाम बोलो, यह आप को बोलना होगा । यह मैं मानता हूं कि हम परदे में रहने वालों का नाम नहीं मांग सकते हैं । लेकिन वह किस की पत्नी हैं, किस की बेटी हैं, यह तो कह देना होगा ।

सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है । आप इस बिल को शरू से आखिर

[बाबू रामनारायण सिंह]

तक पढ़ जाइये, तो साफ मालूम होता है कि किसी खास व्यक्ति के लिये, खास समाज के लिये, खास गुटबन्दी के लिये, यह कानून बन रहा है। कहा जाता है कि शिपिंग इंडस्ट्री को भी कर्ज़ा दिया जाय, पहले नहीं दिया जाता था। उस के साथ साथ अभी सभी ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। तो व्यवसाय की उन्नति के लिये यह कानून बना। अब किसी और व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते लेकिन सुनते हैं कि करीब ९५ लाख रुपया चीनी इंडस्ट्री को दिया गया है। इस का क्या मतलब है ? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूं कि जब कोई प्रबन्ध होता है, या किसी समाज का कोई प्रबन्ध होता है तो इस मतलब से होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहियें। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। मुझे तो इस को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इस को सरकार नहीं कहना चाहिये। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिये समाज बना है। जो कानून बनते हैं वह इसलिये नहीं कि उस से देश का कोई लाभ हो। वह इस लिये कानून नहीं बनाते हैं कि देश को उस की जरूरत है और उस के लिये आदमी की जरूरत है, उस काम के लिये किसी आदमी को ले लें इस मतलब से कानून नहीं बनता है। बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक आदमी जिस को रोजगार पर लगाना है, उस के लिये कानून बना देते हैं उस के लिये डिपार्टमेंट खोल देते हैं, पद बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिये यह कानून बनता है। अब यह कानून बनता है। लेकिन क्या डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत थी ? अभी न इस कारपोरेशन को बहुत रुपये मिले हैं, न बहुत काम हुआ है। काम हुआ है तो सिर्फ चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उस में उन्नति के लिये रुपये की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिये थी जो कि इस देश में हैं नहीं। यह काम तो नहीं होना चाहिये था कि जो व्यवसाय उन्नतिशील है उसी की उन्नति करो। तो, जैसा और लोगों ने कहा है, डाक्टर लंकासुन्दरम ने भी कहा है यह जितनी कार्यवाही हो रही है वह सब इस बिल के हर एक पद से मालूम होती है, हर एक अक्षर से मालूम होती है, हर एक पंक्ति से मालूम होती है, कि यह कानून जो बन रहा है वह कुछ लोगों के लिये बन रहा है। प्रधान मंत्री भी आ कर कह गये कि वह तो नाम नहीं बतलायेंगे। वित्त मंत्री ने ऋण लेने वाले से वादा किया है कि उस का नाम प्रगट नहीं किया जायगा। सभापति महोदय, हम जानते हैं कि ये लोग वादा पालन करने में कितने बहादुर हैं, कहां तक वादा पालन करते हैं, वचन पालन करते हैं। यह सब हम लोग जानते हैं। और जगह वादा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, खुद कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की जान माल की रक्षा होगी। वह वादा कहां पूरा हो रहा है ? लेकिन यहां जिन लोगों को धन दिया है, जिन लोगों को कर्ज़ दिये गये हैं, उन के नाम नहीं बतलाये जायेंगे, यह वादा हो गया है और इस वादे को पूरा किया जाता है। इन लोगों को ऐसा कहने में न कुछ संकोच होता है और न जनता का कुछ भय होता है।

तो मैं अधिक इस बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन इतना कह देता हूं कि सरकार की तरफ से जो कार्य करने वाले हैं वे इस तरह के कार्य न करें जो लोक हित के लिये न हों,

देश के भले के लिये न हों । ऐसे काम नहीं करने चाहियें । ऐसे काम करने चाहियें जो सारे देश की भलाई के लिये हों और उस में हर तरह के लोगों की भलाई हो । लेकिन कुछ लोगों की भलाई के लिये काम करना, यह बहुत बुरी बात है । तो अधिक न कह कर, चूंकि आप ने पहले ही कह दिया है कि बहुत संक्षिप्त होना चाहिये, और मधुर होना चाहिये, मैं आप के कहे अनुसार संक्षिप्त किये देता हूं और अपने भाषण को मधुर भी करने की मैंने कोशिश की है । लेकिन यह तो त्यागी जी ही बतला सकेंगे कि मैं अपने को कहां तक मधुर कर सका हूं । लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमें वह बात जो देश के भले की हो, अवश्य कहनी चाहिये। सरकार अगर कोई बात नहीं बतलाना चाहती और परदे वाली बात हो तो यह तो बतला ही देना चाहिये कि वह परदे वाली किस की पत्नी है, या किस की बेटी है, यह इस तरह से तो कह ही देना चाहिये । और अगर यह भी नहीं बतलाते हैं तो मैं कहने को मजबूर हूं कि सरकार जो भी काम करती है अपने लाभ के लिये और अपनी गुटबन्दी के लाभ को दृष्टि में रख कर करती है जो कि बुरा और अनुचित है और इस लिये मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) इससे पहले कि मैं विधेयक पर चर्चा करूं, मैं सरकार द्वारा तथ्यों को छिपाने का सख्त विरोध करता हूं । संसद् को अधिकार है कि उसे सारी सूचना उपलब्ध कराई जाये और हमें उस अधिकार की रक्षा करनी चाहिये । संसद् से कोई सूचना नहीं छिपाई जा सकती । हमें बड़ा खेद है कि वर्तमान सरकार प्रजातंत्र द्वारा स्थापित प्रथाओं को एक एक करके ठुकराती जा रही है । औद्योगिक वित्त निगम के बारे में सरकार ने उन फ़र्मों के नाम बताने से मना कर दिया जिन्हें निगम ने ऋण दिया । श्री त्यागी ने केवल कुछ फ़र्मों के नाम ही बताये हैं, वह भी तब जब श्री श्रीराम ने, जो निगम के अध्यक्ष हैं, उनसे यह सूचना देने को कह दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संसद् को सूचना श्री श्रीराम के कहने पर दी जाया करेगी ? इस प्रकार से संसद् की अवहेलना करना बहुत अनुचित है ।

इस सदन को निगम के हर काम और हर बात की जांच करने का पूरा पूरा अधिकार है । कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश के औद्योगिक विकास में रुचि न रखता हो । हम सब चाहते हैं कि हमारे यहां उद्योग-धन्धे उन्नति करें । यदि औद्योगिक वित्त निगम से यह उद्देश्य पूरा होता है, तो हम इसका पूरा पूरा समर्थन करेंगे । परन्तु जब हम इस प्रकार की संस्था गड़बड़ करने लगें या अपने अपने लोगों का पोषण करने लगें तो हमें उसको रोकने का और ठीक दिशा में लाने का अधिकार है । इसलिये हम कहते हैं कि इस निगम के बारे में कुछ भी सूचना छिपाना ग़लती है । इससे तो उल्टा यह प्रगट होता है कि वास्तव में निगम के काम में कुछ गड़बड़ है और सरकार सदन से कुछ सूचना छिपाना चाहती है । हम समझते थे कि इस निगम का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने हितों और स्वत्वों को ध्यान में न रख कर देश के हित का ही अधिक ध्यान रखेगा । हमें जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि श्री श्रीराम का कुछ कम्पनियों में, जिन्हें रुपया दिया गया है, स्वार्थ था । श्री श्रीराम इस निगम के अध्यक्ष थे । श्री श्रीराम का कहना है कि इसकी वजह यह है कि उन्हीं की कम्पनियां ऐसी हैं जो रुपया देने में देर नहीं करती । मुझे संदेह है कि सदन को इस विषय में पूरी पूरी सूचना नहीं दी गई है । हो सकता है कि अन्य कम्पनियां भी, जिन्हें ऋण दिया गया है ,

[श्री एस० एस० मोरे]

ऐसी ही हों जिन के श्री श्रीराम, अध्यक्ष हों या डाइरेक्टर हों। मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन्होंने देश के हित को ध्यान में रख कर काम नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष पद पर रहना देश की भलाई में न होगा।

इसके पश्चात्, मैं यह कहूंगा कि सरकार को उन उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये जो अभी हमारे यहां स्थापित नहीं हो पाये हैं। निगम बड़े बड़े उद्योगों की सहायता के लिये है और इन्हीं को सहायता देने पर सरकार को ज़ोर देना चाहिये। हमारे यहां पूंजीपति वस्तुएं बनाने वाले उद्योग नहीं के बराबर हैं। मशीनरी, मोटरें, ट्रेक्टर या बिजली का सामान बनाने वाले कारखाने हमारे यहां नहीं हैं। सरकार को चाहिये कि इनको स्थापित करे। अब तक निगम कपड़ा तथा चीनी उद्योग को सहायता देता रहा है। मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों को सहायता देने के बजाय सरकार को ऐसे उद्योगों को सहायता देनी चाहिये जो अभी ठीक तरह से स्थापित नहीं हो सके हैं; तब ही निगम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगा।

पूंजीगत वस्तुओं के बारे में अभी तक ब्रिटेन और अमरीका पर निर्भर करते हैं। अमरीका तो यह चाहता है कि किसी तरह अधिक से अधिक देशों पर अपना प्रभुत्व जमाया जाये। हम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से रुपया ले रहे हैं परन्तु हम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस का ही सब से बड़ा हाथ है। इन देशों की यही कोशिश है कि एशिया के देशों में महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास न हो, वरना उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ता है। वे तो यह चाहते हैं कि पिछड़े हुए देश हमेशा पिछड़े रहें ताकि उनका मतलब हल होता रहे। हमको इस बैंक के साथ व्यवहार करने में अपने देश की भलाई का पूरा ध्यान रखना होगा।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या यह वित्त निगम देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से औद्योगिक विकास की ओर प्रयत्न कर रहा है या नहीं। हमारा देश बहुत बड़ा है, उसके कुछ भाग तो विकसित हैं परन्तु कुछ भाग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। निगम का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह यह देखे कि देश की औद्योगिक उन्नति सब भागों में एक जैसी हो। अब तक जो ऋण दिये गये हैं उनका वितरण उचित रूप से नहीं हुआ है। बम्बई की ग्यारह कम्पनियों के बीच दो करोड़ ३९ लाख रुपया दिया गया, महाराष्ट्र में ९ कम्पनियों के बीच एक करोड़ ३२ लाख रुपया दिया गया, गुजरात में पांच कम्पनियों के बीच ४९ लाख ५० हजार रुपया दिया गया परन्तु कर्नाटक को कुछ नहीं मिला। यदि कर्नाटक में कोई उद्योग नहीं तो सरकार को चाहिये कि वहां कुछ उद्योग स्थापित करें। वित्त निगम का एक कर्त्तव्य यह भी है कि ऐसे स्थानों में उद्योग स्थापित करे जहां अभी कोई उद्योग नहीं है। आखिर, सरकार के अनुदेशों के अनुसार ही तो निगम कार्य करेगा और सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे देश के सब भाग विकसित हो सकें।

इसके पश्चात् मैं विधेयक के बारे में दो एक बातें और कहूंगा। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह औद्योगिक कम्पनी की परिभाषा को इतना व्यापक बनाये जिससे उसके अन्दर कृषि उद्योग भी आ जाये। कृषि हमारे यहां का प्रमुख धंधा है और इस निगम के क्षेत्र से बाहर नहीं रखना चाहिये। अब मैं खंड ३ पर आता हूं। सरकार द्वारा नियुक्त

किये जाने वाले डाइरेक्टरों की संख्या तीन की जगह अब चार की जा रही है। पहले दो डाइरेक्टरों की व्यवस्था थी, बाद में तीन की कर दी गई और अब चार के लिये की जा रही है। कहा जाता है कि इससे सारे पक्षों और हितों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। परन्तु मैं नहीं समझता कि एक व्यक्ति के बढ़ाने से सब पक्षों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जायेगा। इससे एक डर यह भी है कि सरकार के पास लोगों की नियुक्ति के लिए कई एक स्थान हो जायेंगे और फिर भ्रष्टाचार और पक्षपात किया जाने लगेगा। मैं नहीं जानता कि किस वजह से यह संख्या बढ़ाई जा रही है। खंड ६ के अनुसार मैनेजिंग डाइरेक्टर दो-तिहाई बहुमत पर ही हटाया जा सकता है। यह भी एक अजीब उपबन्ध है। जब सरकार का इस निगम पर पूरा पूरा नियंत्रण है तो फिर दो तिहाई बहुमत की क्या आवश्यकता है। सरकार को ही यह अधिकार होना चाहिये कि वह मैनेजिंग डाइरेक्टर को रखना चाहे तो रखे वरना हटा दे। इस उपबन्ध से नतीजा यह होगा कि मैनेजिंग डाइरेक्टर निगम के अन्दर गुटबन्दी फैला देगा और दो गुटों को हमेशा लड़ाता रहेगा और अपनी स्थिति ज्यों की त्यों बनाये रखेगा। मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं।

अन्त में, मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस विधेयक में एक ऐसा खंड जोड़ दे जिसके अनुसार बोर्ड के डाइरेक्टर या चेयरमैन ऐसे व्यक्ति न हों जिनका किसी व्यापारिक फ़र्म से सीधा संबंध हो। तटकर आयोग के बारे में भी हमने यह उपबन्ध कर रखा है कि वह व्यक्ति जिसका किसी फ़र्म से कोई स्वार्थ होगा आयोग का डाइरेक्टर या अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जायेगा। ऐसा उपबन्ध इस निगम के बारे में भी किया जाना चाहिये।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) यह एक बड़े संतोष का विषय है कि सदन के सारे सदस्य, सिवाय मेरे मित्र बाबू रामनारायण सिंह के, इस बात के पक्ष में हैं कि देश में एक औद्योगिक वित्त निगम स्थापित हो। मुझे अपने मित्र श्री गाडगिल की यह बात सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें इस बात का डर है कि भारत सरकार का औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य राज्य निगमों पर पर्याप्त नियत्रंण नहीं है। जहां तक निगम के लेखाओं पर महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाने की व्यवस्था का प्रश्न है सार्वजनिक लेखा समिति में हमने इस विषय पर हमेशा ग़ौर किया है कि राज्य निगमों के बारे में महा लेखा परीक्षक का नियंत्रण होना आवश्यक है। महालेखा परीक्षक ने भी इसी प्रकार की राय प्रगट की है। यदि वित्त मंत्रालय के लोग ज़रा और ध्यान से काम करते तो इससे पहले वे एक संशोधक विधेयक लाते जिसमें महालेखा परीक्षक को नियंत्रण के और अधिक अधिकार दिये जाते।

जब तक औद्योगिक वित्त निगम ने ऋण दिये हैं. तब तक सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने यह अनुभव किया है कि निगम के बिना सोच विचार के या यों ही बिना किसी प्रत्याभूति के ऋण नहीं दिया है। अध्यक्ष के भाषण में से एक उद्धरण दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निगम ने बिना प्रत्याभूति के भी कहीं कहीं ऋण दिये हैं। इस बात की जांच करना श्री त्यागी का काम है। यदि ऐसा किया गया है कि बोर्ड की सारी कार्यपालिका समिति को या मैनेजिंग डाइरेक्टर को सज़ा मिलनी चाहिये।

श्रीमान्, आपको याद होगा कि आपने और मैं ने —आप औद्योगिक वित्त निगम

श्री बी० दास]

विधेयक की प्रवर समिति के अध्यक्ष थे—इस बात के लिये भरसक प्रयत्न किया था कि देश का औद्योगिक विकास अधिक से अधिक हो। अगर १९४७ में, हमारे यहां के कुछ पूंजीपति मित्र अमरीका गये और उन्होंने वहां ऐसा प्रचार किया कि भारत सरकार को अमरीका के पूंजीवाद गुट से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी। उस समय हमारा यह प्रयत्न था कि देश में उद्योगों का विकास शीघ्रता के साथ हो। हमें रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारी यह मांग थी कि औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया जाये। उसे स्थापित किया गया। हम चाहते थे कि यह एक राज्य निगम हो और उस समय भी षणमुखम चेट्टी ने हमें विश्वास दिलाया था कि इसे शीघ्र ही एक राज्य निगम के रूप में परिणित कर दिया जायेगा।

यह विधेयक एक राष्ट्रीय विधेयक है और इसमें सब दलों और पक्षों के समर्थन की आवश्यकता है। विरोधी दल के वक्ताओं ने जो दोष निकाले हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं हैं जिनसे मैं असहमत नहीं हूं। सरकार को चाहिये कि उन पर विचार करे और आवश्यकता हो तो उनके अनुसार विधेयक में परिवर्तन करे।

श्रीमान्, जब हमारे यहां विदेशी शासन था तो १९३४ में हमने रिज़र्व बैंक को उसकी रक्षित निधि के लिये पांच करोड़ रुपया दिया था। यदि आज इस औद्योगिक वित्त निगम को एक राज्य बैंक बना दिया जाता है तो भारत सरकार को इसे एक रक्षित निधि देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब वित्त निगम राज्य का हो जाये तो उसके कुछ औद्योगिक सलाहकार होने चाहिये और एक वैतनिक अध्यक्ष होना चाहिये। मेरी राय में तो एक वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त करना सबसे अच्छा होगा। एक मैनेजिंग डाइरेक्टर को, रिज़र्व बैंक, वित्त विभाग और संसद् के अधीन रखना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि यह उपबन्ध रखा जाये कि दो तिहाई बहुमत से ही मैनेजिंग डाइरेक्टर निकाला जा सकता है। हम चाहते हैं कि श्री षणमुखम चेट्टी द्वारा जो विश्वास दिलाया गया था उसे पूरा किया जाये और इस निगम को एक राज्य निगम बनाया जाये। मैं आशा करता हूं कि श्री त्यागी अगले सत्र में इस निगम को एक राज्य निगम बनाने के संबंध में एक विधेयक लायेंगे। सब से पहले हमें अपने सम्मान का, संसद् के सम्मान का और देश के सम्मान का ध्यान होना चाहिये। हम नहीं चाहते कि इसमें विदेशियों का किसी प्रकार का हिस्सा हो। हम चाहते हैं कि पिछले वित्त मंत्री ने जो यह वायदा किया था कि औद्योगिक वित्त निगम को राज्य निगम बनाया जायगा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये।

विश्व बैंक से रुपया लेने बारे में कुछ कहा गया। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि इसे एक करोड़ रुपये तक सीमित रखा जाये, परन्तु मैं यह सुझाव भी दूंगा कि यह एक करोड़ रुपया केवल जहाज़ कम्पनियों को ही दिया जाये। मैं चाहता हूं कि यह निगम जहाज़ कम्पनियों को कर्ज़ा न दे। यदि हम उन कम्पनियों को उधार रुपया देंगे जो कोई लाभ नहीं कमाती तो इससे मुद्रास्फीति और अधिक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि श्री षणमुखम् चेट्टी द्वारा किया गया वायदा शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जायेगा।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं समझता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम बहुत दृढ़ आधार पर स्थापित किया

गया है और पिछले चार वर्षों की कार्यवाहियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस निगम ने बहुत कुछ किया है। आशा है कि भविष्य में भी वह इसी तरह अच्छा कार्य करता रहेगा।

बहस के दौरान में निगम की आलोचना भी की गई है। इसके प्रबन्ध के बारे में बहुत कुछ कड़े शब्द कहे गये हैं; मैं इन आलोचनाओं के बारे में कुछ कहूंगा; परन्तु हम सब को एक बात याद रखनी चाहिये और वह यह कि यह निगम बहुत अच्छा और बहुत जरूरी काम कर रहा है और हमें इस विधेयक में प्रस्तावित तरीके से उसकी मदद करनी चाहिये।

समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। इस निगम को सहायता देने के बहुत से तरीक़ों में से एक तरीका यह भी है कि इस की वित्तीय स्थिति और अधिक दृढ़ बनाई जाय। ऐसा हम मुख्य अधिनियम की मूल धारा २७ के स्थान पर नई धारा २७ की उपधारा (२) ला कर कर रहे हैं। इसके अनुसार औद्योगिक वित्त निगम की अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से जो क़र्ज़ा मिलेगा, उसकी गारंटी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायगी। इस उपबन्ध के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से हमारे यहां के उद्योगों के लिये रुपया आसानी से मिल सकेगा। इस प्रकार के उपबन्ध के अब तक न होने से हमारे यहां पूंजी की कमी रहती चली आई है। मेरा प्रश्न तो यही है कि मूल अधिनियम की धारा २७ में यह उपबन्ध क्यों नहीं किया गया था? उद्देश्यों के विवरण में भी इसकी कोई व्याख्यान हीं की गई है। केवल माननीय मंत्री श्री एम० सी० शाह ने अपने भाषण में इस बारे में यह कहा था कि जब यह धारा २७ बनाई गई थी तो उस समय यह ठीक ठीक पता नहीं था कि इस प्रकार रुपया लेने की प्रक्रिया क्या होगी। इस व्याख्या से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आखिर भारत तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का आरंभ से ही सदस्य रहा है और एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। हमारा देश उन पांच देशों में से एक है जिसके बैंक में डाइरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार है; अतः उसको बैंक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये कि किस तरह उसके द्वारा रुपये का लेन देन होता है? बैंक के विधान में यह दिया गया है कि वह केवल सरकारों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं को ही रुपया देगा परन्तु यदि बैंक किसी देश के उद्योग के लिये क़र्ज़ा देना चाहे तो इसके लिये वहां की सरकार को उस क़र्ज़े की गारंटी करनी होगी। हमें बड़ा आश्चर्य है कि इस बैंक के बारे में इतना साधारण ज्ञान भी हमारे मंत्रालय को या सचिवालय को नहीं है। हमारे मंत्रालय को तो मूल अधिनियम में ही ऐसा उपबन्ध कर देना चाहिये था जिससे कि रुपया मिलने में अब तक हमें जो रुकावट हुई है वह न हुई होती।

अब तक जो भाषण हुये हैं उन में से कई भाषणों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आवेदन करने वालों को क़र्ज़ा दिये जाने की नीति की कड़ी आलोचना की गई है। मेरा कहना यह है कि यदि हम निगम की कार्यवाहियों के केवल इसी पहलू पर ज्यादा ज़ोर देंगे तो यह हमारे हक़ में अच्छा नहीं होगा। आखिर यह निगम कोई डाकिया तो है ही नहीं जिसका काम रोज़ सवेरे लोगों को रुपया बांटना हो। रुपया बांटने के अलावा इसका काम रुपया पैदा करना भी है। इसका काम यह भी है कि लोगों की बचत को अपनी ओर खींचे और फिर इस बचत को अपने काम में लाये। अक्सर यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से आर्थिक सहायता लेने का अर्थ अमरीकी साम्राज्यवाद के चंगल में फंसना है। परन्तु यह चीज़ ग़लत है। अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री वी० बी० गांधी]

बैंक कोई अमरीकी बैंक तो है नहीं । इस के ५४ देश सदस्य हैं और ६७ प्रतिशत वोट ग़ैर अमरीकन हाथों में हैं । मैं समझता हूं इस प्रकार का डर निराधार है ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : प्रस्तावित धारा २७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, जहां आवश्यक हो निगम द्वारा लिये गये क़र्ज़ों की गारण्टी कर सकता है । इसका मतलब यह है कि केन्द्रीय सरकार निगम के नुक़सानों के लिये तो ज़िम्मेदार है परन्तु फिर भी इस सदन को उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । मेरा निवेदन है कि यदि इस सदन को—मेरा अभिप्राय सरकार से है क्योंकि सरकार ही इस सदन का प्रतिनिधित्व करती है—कोई ज़िम्मेदारी उठानी है तो इसे वह सारी सूचना भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये जिसे सदस्यगण मांगें ।

अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं । यह रिपोर्ट हैदराबाद सरकार की औद्योगिक प्रन्यास निधि (इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फ़ंड) की है। हैदराबाद में यह १९२९ से आरम्भ हुई थी और हम यह दावा कर सकते हैं कि औद्योगिक वित्त के बारे में हमें काफी अनुभव है । यदि आप यह रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारी सूचना दी हुई है—कुल क़र्ज़ की राशि, उन लोगों के नाम जिन्हें क़र्ज़ा दिया गया, लौटाये गये क़र्ज़ की राशि आदि आदि । इनमें से किसी चीज़ को छिपाया नहीं गया ।

यह कहा गया है कि औद्योगिक वित्त निगम में से रुपया विना सोच विचार के नहीं दिया जायगा ; केवल अनुभवी व्यापारियों को यह क़र्ज़ा ५॥ या ६ प्रतिशत ब्याज की दर पर मिलेगा । परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि ग्यारह करोड़ रुपये की पूंजी पर केवल ९ लाख रुपये का लाभ हुआ जब कि हैदराबाद में हमारे वित्त निगम में ५.०७ करोड़ रुपये पर भी १९५० के पहले छः महीनों में ९ लाख रुपये का लाभ हुआ । इसका अर्थ यह है ठीक आधी राशि पर केवल छः महीने में हमें उतना ही ब्याज मिला । १९२९ में जब हमारा वित्त निगम स्थापित हुआ था हम ने ५९,९३,००० रुपये की पूंजी लगाई थी और इसके बाद इसमें कोई पूंजी नहीं लगाई गई । आज, पिछले सालों की आय से हमारी पूंजी ५,७६,८१,३०३ रुपये है । केन्द्र के वित्त निगम की अकुशलता पर मुझे वास्तव में आश्चर्य है ।

नाम न बतलाने के बारे में भी सदस्यों ने ज़िक्र किया । पता नहीं सरकार इसको इतना गोपनीय क्यों समझती है । रिपोर्ट से पता चलता है कि कपड़ा मिलों को २०४ लाख रुपये मिले । हमने सब ही बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों के लेखा पत्रों की जांच की परन्तु किसी में हम ने नहीं देखा कि उसे निगम से क़र्ज़ा मिला है । हम जानना चाहते हैं कि यह रुपया किन किन को दिया गया । चीनी मिट्टी और शीशे के कारख़ानों को भी ११९ लाख रुपये मिले । इसमें से कलकत्ते की ग्लास फ़ैक्टरी को ५० लाख रुपये मिले । मैं जानना चाहता हूं कि इसके डाइरेक्टर कौन हैं । एक तेल मिल को २,५०,००० रुपया मिला है जब कि तेल मिलों की इतनी बहुतायत है । मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार सरकार उद्योगों को सहायता दे रही है । उसका माप-दंड क्या है ? मेरी राय में या तो सरकार को इस क़र्ज़े की गारंटी न करनी चाहिये या फिर जो जो सूचना हम प्राप्त करना चाहें, वह हमें दी जानी चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह: इस विधेयक पर मैं ने अपने माननीय मित्रों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं समझ रहा था कि यह एक सीधा सा विधेयक है और इस पर अधिक बहस नहीं होगी। इस संशोधन विधेयक के प्रस्तावों पर दो तीन सदस्यों को छोड़ कर किसी ने चर्चा नहीं की है; सारी बहस इस सदन को नाम बतलाये जाने के बारे में ही हुई है।

औद्योगिक वित्त निगम के काम के बारे में बहस हुई है और यह स्वाभाविक ही है कि जब एक संशोधक विधेयक सदन के सामने आये तो सदस्यगण निगम के कार्य के बारे में बहस करें। परन्तु मुझे यह देख कर खेद हुआ कि संशोधक विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा करने के बजाय, हमने इसी मामले पर अधिक ज़ोर दिया है। यदि उन सारी फर्मों के, जिन्हें औद्योगिक वित्त निगम से क़र्ज़ा मिला था, नाम बतलाना सम्भव होता तो म ऐसा अवश्य कर देता। मुझे तो उसी नीति को अपनाना पड़ा जिसका सदन अनुसरण करता रहा है। सन् १९४९ में सदन में एक प्रश्न उठाया गया था और उस समय के वित्त मंत्री डा० जान मथाई ने अपनी राय प्रकट उसी प्रकार की थी जैसा कि मंत्री महोदय ने हाल ही में इस मामले पर प्रश्न के उत्तर में की है। रिपोर्टें १९५१ में प्रकाशित हुई थीं। इस संशोधक विधेयक के होते हुए भी सदन में यह प्रश्न कभी नहीं उठाया गया।

तो वित्त मंत्री द्वारा पहले ही से अपनाई गई नीति से अलग चलना मेरे लिये बहुत कठिन था; प्रधान मंत्री ने सदन को पहले ही विश्वास दिला दिया है कि वित्त मंत्री के आ जाने पर यह प्रश्न उठाया जायगा और सदन के प्रतिनिधियों के परामर्श से इस मामले का फैसला किया जायगा।

मैं सोच रहा था कि सदन प्रधान मंत्री के तथा मेरे कार्य बन्धु श्री त्यागी के इस आश्वासन से सन्तुष्ट हो सकेगा कि यदि पक्षपात के बारे में कोई प्रश्न उठाया जायगा तो वे उसकी छानबीन करने के लिये तथा उस सम्बन्ध में सदन को सन्तुष्ट करने के लिये तैयार होंगे।

मुझे कार्यभार संभाले बहुत कम समय हुआ है और कार्यभार संभालने के बाद में मेरा औद्योगिक वित्त निगम से ही सम्बन्ध रहा है। इस संशोधक विधेयक को लाया जाना था। मैं ने समस्त काग़ज़ात देखे हैं जो बहुत ज़रूरी थे और मैं सदन को बता चुका हूं कि मैं उसे सिवय नाम बतलाने के हर एक जानकारी देने के लिये तैयार हूं। नामों के बारे में अभी कुछ दिन और रुका जाय तो ही अच्छा है।

मैं ने देखा है कि औद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्यों के बारे में कुछ भ्रांति है। मेरे मित्र श्री मोरे के भाषण को सुन कर मैं समझ सकता हूं कि इस विषय में कुछ ग़लत धारणायें हैं। औद्योगिक वित्त निगम उन उद्योगों को सहायता देने के लिये बनाया गया था जो या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने जा रहे हैं। इस निगम से सारे देश के लिये औद्योगिक वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा करना ग़लत है। इसका उद्देश्य यह नहीं था, अतः मूल विधेयक में यह उपबन्ध किया गया था कि ऋण ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों को ही दिये जायेंगे यानी ऐसी कम्पनियों को दिये जायेंगे जो केन्द्रीय विधानमण्डल के अधिनियम या प्रांतीय विधान मंडल के अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हों और जो माल बनाने या तैयार करने में, खानों के काम में तथा विद्युत पैदा करने के काम में लगी हों।

[श्री एम० जी० शाह]

उन उद्योगों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया जिन्हें सहायता दी गई और जिन्हें नहीं दी गई। कहा गया है कि नये उद्योगों को सहायता नहीं दी गई। मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम ने मेरे भाषण की उन बातों का ज़िक्र किया जब मैं ने कहा था कि इस औद्योगिक वित्त निगम का काम देश की पूंजी को, जब वह उपलब्ध न हो या जब व्यापारिक बैंकों से या पूंजी बाज़ार से वह न प्राप्त हो सके, पूरा करना है। मैं अब भी यही कहता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम ने अपने सीमित संसाधनों से—केवल पांच करोड़ की चुकाई गई पूंजी से—देश की अर्थ-व्यवस्था में अपनी पूरी शक्ति के अनुसार योग दिया है।

मैं अब निगम के कार्य के विषय पर आता हूं जिसके बारे में मेरे आदरणीय मित्र डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी, डा० कृष्णास्वामी और डा० लंका सुन्दरम ने कुछेक प्रश्न उठाये हैं। परन्तु इससे पहले मैं फिर यह दोहराता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम का काम वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना है, उसका काम उद्योगों के लिये सारे रुपये की व्यवस्था करना नहीं। १९४६ में, युद्ध के पश्चात् बहुत से लोगों ने अपनी अपनी फ़र्में स्थापित की और पूंजी उगाई। उन्होंने पूंजीगत् वस्तुओं का आर्डर दिया औरइमारतें बनवाने के लिये जमीनें खरीदीं परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण, पूंजीगत् वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण तथा अन्य खर्चों के बढ़ जाने के कारण, उन्होंने देखा कि पूंजी कम है और वे अपने उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। अतः उस समय औद्योगिक वित्त निगम ने उन उद्योगों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये सहायता दी।

मेरे माननीय मित्रों ने औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नये उद्योगों और स्थापित उद्योगों को दी गई सहायता के बारे में जिक्र किया। मैं इस विषय में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। निगम ने अक्तूबर, १९५२ के अन्त तक कुल १५,२२,७०,००० रुपये के १०३ ऋण दिये। इन में से ५,७८,७०,००० रुपये नये प्रकार के उद्योगों के लिये थे। इन नई औद्योगिक फ़र्मों द्वारा जो पूंजी इकट्ठी की गई वह उस समय १३,७१,५८,०९० रुपये थी।

इसके अलावा निगम ने देश के नये औद्योगिक संस्थापनों को चार करोड़ तेरह लाख का क़र्ज़ा दिया है। उन उद्योगों को जो स्थापित हो चुके हैं और जिन्हें अपनी मशीनरी बदलनी थी या उसके स्थान पर आधुनिक मशीनरी लगानी थी, निगम ने ५ करोड़ ३१ लाख दिये हैं। इन सब फ़र्मों की चुकाई गई पूंजी ३०,८१,९२,००० रुपये हो गई है। माननीय सदस्य देखेंगे कि कम्पनियों को जिनकी कुल चुकाई गई पूंजी ३० करोड़ रुपये है निगम ने १५,२२,७०,००० रुपया दिया है। इन सब आंकड़ों से मेरी इस बात की पुष्टि होती है कि औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक फर्मों की पूंजी को बढ़ाने के लिये ही स्थापित हुआ है।

माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये कि रिपोर्ट में और अधिक सूचना दी जानी चाहिये। में उन से पूरी तरह सहमत हूं; सरकार औद्योगिक वित्त निगम को अनुदेश जारी करेगी कि वह यह सूचना उद्योग-वार, राज्य-वार तथा प्रदेश-वार दे। उसे चाहिये कि वह नये उद्योगों तथा उन पुराने उद्योगों के बारे में जो अपने यहां आधुनिक मशीनरी लगाने के लिये और सुविधायें चाहते हैं, जानकारी दे। मेरे पास प्रदेशवार सूचना है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि

निगम को पिछड़े हुये क्षेत्रों को सहायता देनी चाहिये। सदन को याद होगा कि यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनिय १९४८ में पारित किया गया था और उस समय उस में भाग 'ख' राज्य शामिल नहीं थे। ये राज्य बाद में शामिल हुये हैं और १९५१ के अधिनियम द्वारा सहायता के योग्य बने हैं। जब मैं आप के सामने विवरण पढ़ूंगा तो आपको पता लगेगा कि औद्योगिक वित्त निगम ने इन पिछड़े हुये क्षेत्रों में स्थित फ़र्मों को भरसक सहायता दी है। साथ ही मैं रिपोर्ट में से वे बातें भी पढ़ कर सुनाऊंगा जिससे माननीय सदस्यों को वित्त निगम द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्रों पर विचार करने की नीति के बारे में संतोष हो सकेगा। यदि माननीय मित्र सारी बात को और स्पष्ट रूप से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि औद्योगिक वित्त निगम ठीक प्रकार से ही काम कर रहा है।

मैं प्रदेशवार आंकड़े दे रहा हूं। बम्बई को ४,१५,५०,००० रुपया मिला है—टेक्सटाइल मशीनरी १४ लाख रुपया, यांत्रिक इंजीनियरिंग २६.५० लाख रुपया, बिजली सम्बन्धी इंजीनियरी ६९ लाख रुपया, सूती कपड़ा मिलें केवल २८ लाख रुपया। मेरे माननीय मित्रों ने सुझाव दिया है कि बम्बई और अहमदाबाद में किसी सूती कपड़ा मिल को ऋण नहीं दिया जाना चाहिये और उन्हें अन्य स्थानों में जैसे बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में स्थापित करना चाहिये जहां उन को स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो सूती कपड़ा उद्योग को केवल २८ लाख रुपया मिल रहा है, रेयोन उद्योग को ५० लाख, रासायनिक को चार लाख, चीनी मिट्टी और कांच उद्योग को २० लाख, अलौह धातुओं को ३० लाख, लोहा तथा इस्पात इंजीनियरिंग को ३८ लाख, और चीनी उद्योग को ४० लाख मिल रहा है। यह अन्तिम राशि महाराष्ट्र को दे दी गई है और वहां भी इसे काश्तकारों की सहकारी समितियों को दे दिया गया है। इसके बाद क़ागज़ उद्योग को २४ लाख, मोटर ट्रैक्टर उद्योग को —— जिसके बारे में तटकर आयोग पहले ही कह चुका है कि इसको सहायता देनी चाहिये—५० लाख रुपया मिला है...

डा० एस० पी० मुकर्जी: क्या यह राशियां दे दी गई हैं या केवल स्वीकृत हुई हैं?

श्री एम० सी० शाह: मैं स्वीकृत राशियां पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैं यह बताऊंगा कि यह सब राशियां काम में क्यों नहीं लाई गई हैं।

अब बिहार को लीजिये। बिहार भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां बिजली सम्बन्धी इंजीनियरिंग के लिये हमने १२ लाख रुपये दिये हैं, चीनी मिट्टी और कांच के लिये ५० लाख। लोहे और इस्पात के लिये १२.५० लाख आदि आदि। इसके बाद मध्य प्रदेश को लीजिये। यहां सूती कपड़ा उद्योग के लिये २३,७५,००० रुपये और चीनी मिट्टी तथा कांच उद्योग को ६ लाख रुपये दिये गये हैं। पंजाब को भी ऊनी कपड़ा उद्योग के लिये दस लाख, तथा रासायनिक पदार्थों के लिये दिया गया है। मद्रास को कपड़ा उद्योग के लिये ११,५०,०००, रासायनिक पदार्थों के लिये ३० लाख, सीमेंट के लिये ४० लाख और चीनी उद्योग के लिये ३५ लाख रुपया मिला है। मेरे मित्र श्री सारंगधर दास ने कहा कि चीनी उद्योग को सहायता नहीं मिलनी चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि वह दक्षिण को दी जाय तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वह जान कर प्रसन्न होंगे कि यह सब दक्षिण को ही दी जाती है। इसके

[श्री एम० सी० शाह]

बाद यू० पी० को सूती कपड़ा उद्योग के लिये ४०.५० लाख, रासायनिक पदार्थों के लिये ४,५०,००० रुपये और तेल मिलों के लिये २,५०,००० रुपये दिये गये हैं। उड़ीसा को भी सूती कपड़ा मिलों के लिये ५० लाख और विद्युत शक्ति के लिये ९ लाख मिले हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने कहा कि पश्चिमी बंगाल की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बंगाल को २,५०,००,००० रुपये दिये गये हैं, सूती कपड़ा मशीनरी के लिये ५० लाख, और यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिये ३८.५०। पश्चिमी बगाल के बारे में आंकड़ इस प्रकार हैं :

	लाख रुपये
सूती कपड़ा उद्योग	३१
रासायनिक पदार्थ	२२.५०
चीनी मिट्टी और कांच	३४
अलौह धातु	५
अलुमीनियम	५०

इसके बाद राजस्थान को लीजिये जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है और जो निगम के क्षेत्राधिकार में १९५१ में आया है। उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :

	लाख रुपये
सूती कपड़ा उद्योग	२०
खानें	३०

सौराष्ट्र भी निगम के क्षेत्राधिकार में १९५१ में आया। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं :

	लाख रुपये
ऊनी कपड़ा उद्योग	२५
रासायनिक पदार्थ	६५
सीमेंट	५०

इसके बाद, मध्य भारत को तीन लाख पचास हज़ार रुपये मिले। ट्रावनकोर-कोचीन को बिजली सम्बन्धी इंजीनियरिंग, रासायनिक पदार्थों तथा सीमेंट के लिये लगभग ६५.५० लाख रुपये मिले। मैसूर को, हालांकि वह काफ़ी उन्नत भाग है, ७१ लाख रुपये मिले। हैदराबाद को चीनी उद्योग के लिये ४० लाख रुपये मिले जिसका अर्थ यह है कि चीनी उद्योग के लिये सारा ऋण दक्षिणी राज्यों को ही मिला है।

मेरे माननीय मित्र डा० एस० पी० मुकर्जी, डा० कृष्णास्वामी और शायद डा० लंका सुन्दरम ने कई प्रश्न पूछे : इस निगम की नीति क्या है ? आवेदन पत्रों पर कैसे विचार होता है ? उन्हें कैसे मंजूर किया जाता है ? क्या देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है ? ऐसे कई प्रश्न उन्होंने पूछे। इसके उत्तर में मैं उनका ध्यान औद्योगिक वित्त निगम की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट की ओर दिलाऊंगा। मैं उस रिपोर्ट में से संगत भाग को पढ़ कर सुनाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि इस मामले में उनके यहां स्पष्ट व्यवस्था है कि ऋण किस प्रकार दिये जायें। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि:

"आवेदन पत्रों पर विचार करते समय, निगम सामान्यतः औद्योगिक फ़र्म से आवेदन पत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना मांगता है। वह यह जानना चाहता है कि—

कम्पनी क्या उत्पादन करती रही है या क्या उत्पादन करना सोचती है ?

जो ज़मानत दी गई है उसका मूल्य कितना है और कितना ऋण मांगा गया है तथा निगम

को उसमें क्या बचता है ?

कम्पनी द्वारा किन कार्यों के लिये सहायता मांगी जा रही है ?

औद्योगिक फ़र्म को विभिन्न शीर्षकों जैसे ज़मीन, इमारतें मशीनरी आदि के अन्तर्गत अपनी जरूरतों को बतलाना पड़ता है—

क्या कम्पनी को उचित रूप से सुसज्जित किया जाना है ?

क्या फ़ैक्टरी उपयुक्त स्थान पर स्थित है ?

क्या कम्पनी के पास पर्याप्त ज़मीन है जिस पर वह अपनी फ़ैक्टरी खड़ी करने जा रही है ?

क्या कम्पनी का ज़मीन पर पर्याप्त अधिकार है ?.... आदि आदि । "

इस तरह की बारह या तेरह शर्तें हैं। इसके बाद आवेदन पत्रों की जांच होती है।

"इनकी निम्न बातों के आधार पर जांच की जाती है:

उद्योग का राष्ट्रीय महत्व ।

प्रबन्धकों का अनभव तथा क्षमता ।"

जैसा आप जानते होंगे, यदि हम सारी स्थिति को वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता लगेगा कि यह एक बहुत ज़रुरी चीज़ है। फिर:

"योजना की निष्पाद्यता ।

कम्पनी के माल की उसकी क़िस्म के बारे में प्रतिष्ठा ।

कम्पनी के संसाधनों की तुलना में योजना की लागत ।

दी जान वाली ज़मानत तथा ऋण से उसका अनुपात ।

क्या स्वीकृत सहायता से कम्पनी सुविधापूर्वक और कुशलतापूवक काम चला सकेगी ।

क्या उद्योग ऐसा है जिसका उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक है ।"

जब देश किसी उद्योग के मामले म आत्म-निर्भर हो तो यह निगम उसको ऋण नहीं देता। इसके बाद:

"क्या कुछ वर्षों तक कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहेगा ?"

इसके उपरान्त योजनाओं की विशेषज्ञों द्वारा जांच होती है और उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये ही ऋण दिया जाता है। यह सब आपको औद्योगिक वित्त निगम की प्रथम रिपोर्ट में मिल जायेगा। इसे आप संसद् के पुस्तकालय से ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय डा० एस० पी० मुकर्जी तथा डा० कृष्णा स्वामी न जो बातें उठाई हैं उनका उत्तर निगम की रिपोट के अन्दर शुरू में ही दी गई नीति से मिल जायेगा ।

मेरे माननीय मित्र डा० एस० पी० मुकर्जी ने जोखिम पूंजी का विषय उठाया और ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक वित्तीय निगम का उदारहण दिया। मैं यह वताना चाहता हूं कि जब इस सदन के सामने मूल अधिनियम लाया गया था तो उसम जोखिम पूंजी की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं था। इसके अलावा ५ करोड़ रुपये की सीमित पूंजी से ऐसा करना सम्भव भी नहीं था, और न ही औद्योगिक वित्त निगम इस जोखिम को उठा सकता है। यह तो सब जानते हैं कि यदि निगम जोखिम पूंजी देने लगे तो थोड़े थोड़े लाभांश देने के

[श्री एम० सी० शाह]

लिये भी उसे पांच या छः वर्ष इन्तजार करना होगा और इस बीच में उसे केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियां सहकारी समितियां तथा अन्य विनियोजकों द्वारा विनियोजित पूंजी पर ब्याज भी देना होगा। साथ ही, निगम को इन नये उपक्रमों से, चाहे उनका प्रबन्ध बहुत अच्छे तरीक़े से ही क्यों न हो, कुछ नहीं मिलना है। मैं ने ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक वित्तीय निगम के बारे में पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि वह बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित फ़र्मों को ही जोखिम पूंजी देता है। उद्योग को आरम्भ करने के लिये जोखिम पूंजी नहीं दी जाती। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस निगम की अन्तिम रिपोर्ट में जो सूचना दी गई है वह हमारे निगम में दी गई सूचना से कम है। फिर भी, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि निगम की रिपोर्टों में और अधिक सूचना दी जाय।

एक बात यह कही गई कि एक विकास बैंक खोला जाय। शायद डा० कृष्णास्वामी ने इसे उठाया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेक्सिको में जो हाल ही में सम्मेलन हुआ था उसमें इस विषय पर विचार हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जोखिम पूंजी में भाग लेने का प्रश्न उठाया गया था और जब वह प्रस्ताव भारत सरकार के पास आया तो भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में उसे स्वीकार कर लिया था परन्तु मुझे पता चला है कि अमरीका ने उस योजना का विरोध किया था। तो, मैं समझता हूं वह योजना अब कार्यान्वित नहीं हो सकेगी। इस समय कनाडा में ही एक विकास बैंक है परन्तु वहां भी सारा धन सरकार द्वारा ही दिया जाता है। विकास तब ही स्थापित हो सकता है जब कि सरकार बिना ब्याज के उसे रुपया दे क्योंकि कम से कम कुछ समय तक तो जोखिम पूंजी से कुछ नहीं मिल सकेगा। इसलिये, इस समय भारत सरकार विकास बैंक नहीं खोल सकती।

इसके बाद, यह कहा गया कि निगम की अर्थ व्यवस्था उद्योगपतियों के एक विशेष वर्ग द्वारा नियंत्रित है। मैं समझता हूं कि यह डर बिल्कुल निराधार है। औद्योगिक वित्त निगम के विधान को देखने से पता चलेगा कि आरम्भ से ही यह विचार था कि निगम में व्यक्तिगत पूंजी को स्थान दिया जाये। पांच करोड़ की पूंजी में, हमने अनुसूचित बैंकों के लिये २५०० हिस्सों, विनियोजन प्रन्यासों तथा बीमा कम्पनियों आदि के लिये २५०० हिस्सों और सहकारी समितियों के लिये १००० हिस्सों की व्यवस्था की है। उस समय यह सोचा गया था कि औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध में ऐसे व्यक्तियों को लिया जाये जिन्हें व्यापारिक अनुभव हो। इसके लिये विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक फ़र्मों को ऋण देना होता है, अतः यह आवश्यक है इसका प्रबन्ध उन्हीं लोगों के हाथों में हो जिन्हें व्यापार और उद्योग सम्बन्धी मामलों का अनुभव हो। मैं डाइरेक्टरों के नाम पढ़ कर सुनाऊंगा जिससे सदन को पता लगेगा कि बोर्ड में केवल दो उद्योगपति ही हैं। बोर्ड के सदस्य ये हैं:

श्री के० जी० अम्बेगावकर, सरकार द्वारा नामनिर्देशित।

श्री भूतलिंगम।

श्री खंडू भाई देसाई (जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे)।

श्री श्री राम, रिज़र्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित।

प्रो० डी० आर० गाडगिल, (कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था

कि औद्योगिक वित्त निगम में कुछेक अर्थ शास्त्रियों को भी लिया जाना चाहिये । प्रो० डी० आर० गाडगिल भारत के सुज्ञात अर्थशास्त्रियों में से हैं)

सर बीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्वाचित

श्री एच० सी० कैप्टेन, मैनेजिंग डाइरेक्टर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ।

श्री बी० के० शाह, जनरल मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ।

श्री एल० एस० वैद्यनाथन्, मैनेजर, ओरियन्टल गवर्नमेंट सीक्योरिटी एण्ड लाइफ़ इन्श्योरेंस कम्पनी ।

श्री आर० जी० सरैया, प्रधान, बम्बई प्रान्तीय सहकारी बैंक, तथा

श्री वी० पी० वर्डे ।

श्री सोलनकर मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं ।

इसे देख कर यह स्पष्ट हो जायेगा कि जैसा कुछ माननीय सदस्यों को डर है निगम की अर्थ व्यवस्था उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के किसी वर्ग द्वारा नियंत्रित नहीं होती ।

मेरे माननीय मित्र श्री सारंगधर दास ने उड़ीसा टेक्सटाइल्स के बारे में ज़िक्र किया । जैसा मेरे सहकारी माननीय श्री त्यागी ने विश्वास दिलाया है, यदि कोई गड़बड़ है तो हम उसकी जांच करेंगे और सदन को पूरी सूचना देंगे । उड़ीसा टेक्सटाइल्स की स्थायी परिसम्पत् का ३१ मार्च, १९५२ को शुद्ध मूल्य एक करोड़ ५२ लाख १५ हज़ार रुपये था । उसका पुस्त-मूल्य एक करोड़ ६६ लाख ५० हज़ार रुपये था जिसमें से १४ लाख रुपये अवक्षयण के लिये कम किये जाने थे । इस परिसम्पत् पर ५० लाख रुपये का ऋण दिया गया है । श्री दास 'ए' कम्पनी और 'बी' कम्पनी के बारे में कह रहे थे : कोई 'बी' कम्पनी सरकार के पास सहायता के लिये नहीं आई । जहां तक 'ए' कम्पनी—उड़ीसा टेक्सटाइल्स—का सम्बन्ध है, उसकी परिसम्पत् का मूल्य एक करोड़ ५२ लाख रुपये था । साथ ही, यह पूछा गया कि क्योंकि उड़ीसा सरकार पहले ही ऋण दे चुकी है, तो फिर प्रथम आभार औद्योगिक वित्त निगम का कैसे होगा ? जब निगम ऋण देता है तो वह सारी परिसम्पत् को अपने पास गिरवी रखव लेता है । इस मामले में उड़ीसा सरकार ने अपना अधिकार छोड़ दिया । उन्होंने ऋण दिया था परन्तु उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया और प्रथम आभार औद्योगिक वित्त निगम को दे दिया गया । माननीय सदस्यों को जो सूचना मिलती है उसके आधार पर वे कुछ निराधार डर बना लेते हैं । मैं यह मानता हूं कि संसद् को तथा सदन के सदस्यों को वित्त मंत्रालय से पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । वास्तव में, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत, जैसा डा० मुकर्जी ने स्वयं कहा है भारत सरकार की, निगम की कार्यवाहियों को नियंत्रित करने का काफ़ी अधिकार है । जब राज्य वित्त निगम अधिनियम पर यहां बहस हुई थी तो उस समय भी इन्हीं बातों को उठाया गया था और तब श्री देशमुख ने कहा था कि यदि भ्रष्टाचार या पक्षपात का कोई मामला नज़र आये तो इस सदन का हर सदस्य उनके पास आ कर उस मामले की सूचना दे सकता है और वह उस की जांच करने को तैयार है । मेरे माननीय कार्यबन्धु श्री त्यागी भी कह चुके हैं कि यदि किसी माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूचना है तो हम उसकी जांच करने तथा सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिये तैयार हैं ।

[श्री एम० सी० शाह]

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम ने १५ लाख रुपये की पूंजी और ५० लाख रुपये के ऋण की बात कही। मैं ने उन सारे आठ मामलों की जांच की है जिनमें ५० लाख या इससे अधिक ऋण दिया गया है; परन्तु एक भी फ़र्म ऐसी नहीं थी जिसकी जैसा कहा गया था, चुकाई गई पूंजी १५ लाख रुपये हो। यदि आपके पास और अधिक सूचना हो तो मुझे बतलाइये, मैं उसमें जांच करने और आपको सन्तुष्ट करने के लिये तैयार हूं।

तो मैं आपको बतला रहा था कि सदन को एक निराधार डर यह है कि चूंकि बोर्ड में एक खास उद्योगपति है इसलिये वह ही निगम की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करता है। मुझे क्षमा कर दिया जाये यदि मैं यह कहूं कि इसका अर्थ यह होगा कि बोर्ड के ग्यारह डाइरेक्टर अपने विवेक से कार्य नहीं करते और केवल अध्यक्ष या चेयरमैन जो कहता है उसी का अनुसरण करते हैं। ऐसा कहना उन डाइरेक्टरों की बुद्धि का अपमान करना है। आखिर अध्यक्ष के अधिकार क्या हैं? अधिनियम में यह उपबन्ध है कि ऋण के बारे में सारे आवेदन पत्रों पर कार्य-पालिका समिति द्वारा विचार होगा। और कार्यपालिका समिति में कौन कौन हैं? मैं आपको कार्यपालिका समिति के सदस्यों के नाम बतलाऊंगा। इस समिति का अध्यक्ष औद्योगिक वित्त निगम का अध्यक्ष नहीं होता। इसका अध्यक्ष औद्योगिक वित्त निगम का मैनेजिंग डाइरेक्टर होता है। सारे आवेदन पत्र इस कार्यपालिका समिति के पास आते हैं। वह सारे मामलों की जांच करती है और इन आवेदन पत्रों को सम्बन्धित मंत्रालयों के पास, उन के विचारों को जानने के लिये, भेजती है। यदि उसका सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से है तो वहां भेज देती है, यदि चीनी आदि वस्तुओं से है तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास भेजती है, आदि आदि। पूरी जांच करने के बाद ही ऋण दिये जाते हैं। अभी तक एक भी उदारहण ऐसा नहीं है जिसमें किसी माननीय सदस्य ने यह कहा हो कि किसी फ़र्म विशेष को किसी खास कारण से ऋण नहीं दिया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि पक्षपात का कोई मामला होगा तो हम उसकी जांच करने के लिये तैयार हैं। निगम के काम पर हमारा पूरा नियंत्रण है। परन्तु क्या सूचना ऐसी है जिसे हम नहीं बतला सकते; हम जानते हैं कि संसद् सर्व प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है और माननीय सदस्य को हर सूचना जानने का अधिकार है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

परन्तु इसको कुछ सीमायें हैं। इस में सन्देह नहीं कि इस सदन को नियंत्रण का अधिकार है परन्तु यह नियंत्रण भी एक सरकारी एजेंसी के द्वारा ही किया जाता है। वित्त मंत्री, जो इस निगम के मामले में छान-बीन कर सकता है, इस सदन के प्रति उत्तरदायी है।

कई माननीय सदस्यों ने कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में कहा। मुझे खेद है कि इस गलत धारणा के कारण उनके लिये, कड़ी भाषा का प्रयोग भी किया गया। मुझे हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने श्री श्रीराम के बारे में जो निगम के अध्यक्ष हैं, प्रशंसात्मक शब्द कहे। श्री श्रीराम ने जब इन बातों को सुना तो उन्होंने तुरन्त त्यागी जी को लिखा और उन से कहा कि वह सम्बन्धित पक्षों के नाम बतला दें। वास्तव में, अधिनियम के अन्तर्गत, इन सारे आवेदन-पत्रों पर उन के गुण-अवगणों के

आधार पर विचार होता है और जैसा मैं ने कल कहा इस विषय में विनियम ३७ है। वित्त मंत्री राज्य वित्त निगम विधेयक के सिलसिले में इस बात को पहले ही बतला चुके हैं। उन्होंने कहा था कि म इस विनियम ३७ से सन्तुष्ट हूं जिसके अनुसार यह शर्त लगाई गई है कि वह डाइरेक्टर जिसका उसमें स्वार्थ हो, वहां उपस्थित नहीं रह सकता। वास्तव में, ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक वित्त निगम में कुछ विनियम हैं। मेरे पास वे विनियम हैं। यदि वहां कोई डाइरेक्टर हो तो उसे ऋण के लिये आवेदन करने से नहीं रोका जाता। उस ऋण की गुणावगुणों के आधार पर जांच की जायेगी। हो सकता है कि इस चीज से कुछ सन्देह उत्पन्न हों। परन्तु ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो सार्वजनिक सेवा के लिये आगे आते हैं, कड़ी भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। हमारे लिये यह कहना कि नहीं होगा कि सारा प्रबन्ध केवल एक अध्यक्ष द्वारा ही चलाया जाता है जब कि उसके १२ डाइरेक्टर हैं। इस विधेयक के अनुसार, चूंकि सरकार पूंजी तथा लाभांश की और साथ ही उधार लिये गये मूलधन एवं ब्याज की गारंटी करती है, इसलिये हम अपने और अधिक डाइरेक्टर रखना चाहते हैं। इसीलिये हमने प्रस्ताव किया है कि तीन की जगह चार डाइरेक्टर हों।

मैं कार्यपालिका समिति के बारे में कह रहा था। इसके सदस्य कौन कौन हैं जो आवेदन-पत्रों पर विचार करते हैं? श्री अम्बेगावकर, श्री श्रीराम, श्री एच० सी० कैप्टेन, श्री बी० के० शाह और श्री सोनलकर। श्री सोलनकर कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष हैं। इसलिये मेरा निवेदन है .....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध है कि जब कोई डाइरेक्टर ऋण ले, तो उस मामले की सरकार को सूचना दी जाये और फिर सरकार स्वतन्त्र रूप से उसकी जांच करे?

श्री एम० सी० शाह: अधिनियम में तो ऐसा नहीं हैं परन्तु ऐसी प्रथा अवश्य है। त्यागी जी ने इसे समझाया था। जब श्री श्रीराम ने आवेदन किया तो मैनेजिंग डाइरेक्टर ने उन के आवेदन पत्र को वित्त मंत्री के पास भेजा था। ऐसी प्रथा बन गई है। वास्तव में आवेदन-पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। मेरे पास ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक वित्त निगम के नियम हैं जिन पर बहुत जोर दिया गया था, यदि आप चाहें तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना सकता हूं।

इस सदन के माननीय सदस्यों को निगम के काम के बारे में आलोचना करने का अधिकार है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उसके लिये हम उनके आभारी हैं। सरकार उन सुझावों पर अवश्य ध्यान देगी और निगम के काम में सुधार करेगी। उनके सुझावों से सरकार को सतर्क रहने में भी सहायता मिलेगी।

जैसा मैं आरम्भ से कह रहा हूं, यह एक बहुत सरल सा विधेयक है। इसे सदन के समक्ष धारा २७ के कारण लाया गया। और धारा २७ में विदेशी मुद्रा को उधार लेने का उपबन्ध था। हम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से उधार लेना चाहते थे। यह एक कमी थी क्योंकि यह उधार राशि तब तक नहीं ली जा सकती जब तक उस देश की सरकार जहां वह निगम या फ़र्म हो, उसकी गारंटी न कर दे। इसलिये हमें यह संशोधक विधेयक लाना पड़ा और जब हम इसे लाये तो हमने सोचा कि इस में कुछ और सुधार भी कर दें। यदि आप ३ से ९ तक के खंड देखें तो लगेगा आपको पता कि उनका सम्बन्ध औद्यो-

[श्री एम० सी० शाह]

गिक वित्त निगम की प्रशासनीय व्यवस्था से है। इसके बाद धारा २ है। हम जहाज़रानी को शामिल करना चाहते थे। वास्तव में जहाजों का निर्माण पहले से सम्मिलित है परन्तु जहाज कम्पनियां सम्मिलित नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हमें और अधिक जहाजों की आवश्यकता है। गत पांच वर्षों में जहाज़ सम्बन्धी पूंजी ५० लाख रुपये थी और एक जहाज़ की क़ीमत ५८ या ६० लाख रुपये होती है। इसलिये हम जहाज़रानी को शामिल करना चाहते थे। जहां तक देश की अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है, जहाज़रानी एक प्रमुख उद्योग है। गत वर्ष केवल माल के लिये हमें ५० करोड़ रुपये देने पड़े थे। यदि हमारा अपना जहाज़ उद्योग हो तो हम यह राशि बचा सकते हैं। जहाजों की संख्या भी तब ही बढ़ सकती है जब कि इस उद्योग को वित्तीय सहायता दी जाये।

यदि हम जहाज़रानी, इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ एवं अन्य बड़े उद्योगों को शामिल करें, जिनमें अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो हमें सीमा बढ़ानी होगी। मेरे मित्र डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि यदि हम सीमा बढ़ा देंगे तो निगम के जो थोड़े से संसाधन हैं वे केवल बड़ी फ़र्मों की ओर ही केन्द्रीभूत हो जायेंगे। उनका डर निराधार है। यदि वह रिपोर्ट देखें तो पता लगेगा कि केवल आठ फ़र्में ही ऐसी जिनकी गुंजाइश ५० लाख रुपये तक है। हम चाहते थे कि यदि इस प्रकार का कोई मामला आये तो हम उसको शामिल कर सकें और इसीलिये हमने सीमा में वृद्धि की है।

अब अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से उधार लेने का मामला लीजिये। सामने बैठे कई सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां साम्राज्यवाद का राज्य हो जायेगा, हमारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी और वह अमरीकन पूंजीवादियों के हाथों नियंत्रित होने लगेगी। इस तरह की बहुत सी बातें कही गईं। ऐसा कहना आजकल कुछ रिवाज सा हो गया है। यदि हम चाहते हैं कि देश में उद्योग-धंधे उन्नति करें, यदि हम चाहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये, और जब हमें यह मालम हो कि देश में से इतनी पूंजी मिलना असम्भव है, तो यह नितान्त आवश्यक है कि हम विदेशों से रुपया लें। विदेशों से पैसा लेने में कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं। इस समय सीमा केवल ८० लाख डालर है। यह एक छोटी सी राशि है। यदि विश्व बैंक गैरसरकारी क्षेत्र को और अधिक ऋण देने की स्थिति में हैं तो औद्योगिक वित्त निगम भी इस बैंक के ज़रिये गैरसरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में समर्थ हो सकेगा। मुझे हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र डा० एस० पी० मुकर्जी ने विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बारे में अपने विचार प्रगट किये हैं। इस विषय पर आलोचको का उत्तर उन्होंने, डा० लंका सुन्दरम ने और डा० कृष्ण स्वामी ने दे दिया है। उस ओर के कुछ सदस्यों को छोड़ कर सारे सदस्य इस मामले में एकमत हैं।

जहां तक ब्याज की दर का प्रश्न है सब जानते हैं कि यह दर आजकल बढ़ रही है। इंगलैंड की बैंक दर ४ प्रतिशत तक आ गई है। विश्व बैंक से लिये गये ऋण पर उन्हें ३.३८ प्रतिशत या इसके ही लगभग कुछ देना होता है। कोई नहीं कह सकता कि बाज़ार की हालत क्या होगी। तो, हमें यह ऋण शीघ्र से शीघ्र मिलने वाला है और इसीलिये हम यह संशोधक विधेयक लाये हैं।

जब बातचीत पूरी हो जायेगी तो हम सदन के सूचनार्थ क़ागज़ात उसके समक्ष रख

देंगे। इस में कोई बात छिपी नहीं रखी जानी है, वास्तव में मुझे विश्व बैंक से ऋण लेने में कोई हिचक नहीं है। हम ने लगभग ८ करोड़ बीस लाख डालर का अंश दान दिया है, यानी लगभग ८० लाख डालर तो डालरों में है और शेष राशि हम ने रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया में रुपये के सिक्कों में तथा अपने खुद के अपर क्राम्य तथा बिना ब्याज वाली सिक्योरिटियों के रूप में जमा कर रखी है। हम भी ५१ सदस्यों में से एक सदस्य हैं। जर्मनी और जापान अभी सदस्य हुये हैं और चेकोस्लोवाकिया तक, जो एक कम्युनिस्ट देश है, अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का सदस्य है। यदि यह बैंक हमारे सामने भी वैसी ही शर्तें रखता है जैसी वह अन्य देशों के सामने रखता है तो मैं समझता हूं हमें उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें कोई शर्तें नहीं लगाई जाती मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब ऋण दिया जायेगा तो निगम के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह ऋण इकट्ठी राशि में नहीं मिलेगा, थोड़ा थोडा कर के ही मिलेगा। जैसे जैसे हमारी औद्योगिक फ़र्मों को पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होगी वैसे वैसे ही उनको यह ऋण दिया जायेगा। अतः मैं समझता हूं कि यह जो ऋण लिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक प्रवर समिति का प्रश्न है, यदि यह मामला ज़रूरी न होता तो हम निश्चय ही इस प्रस्ताव को मान लेते। वास्तव में यह एक बहुत साधारण सा विधेयक है। यदि आप इस संशोधक विधेयक के उपबन्धों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ३ से ९ तक के खंड प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में ही हैं। इसके बाद खंड २ है जिसका जहाज़रानी से सम्बन्ध है और फिर १०, ११, १२ और १३ खंड हैं। माननीय डा० लंका-सुन्दरम ने १०, ११, १२ खंडों का तो समर्थन किया परन्तु खंड १३ के बारे में उन्हें कुछ सन्देह था। माननीय श्री रामास्वामी को भी सीमा बढ़ाने के बारे में सन्देह है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले पर वित्त मंत्री ने रिज़र्व बैंक से बातचीत की थी और बहुत कुछ बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि पूंजीगत वस्तुओं, इमारतों और जमीन आदि की लागत बढ़ गई है इसलिये इस सीमा को बढ़ाना बहुत आवश्यक है जिससे यदि ज़रूरत हो तो किसी औद्योगिक फ़र्म को एक करोड़ रुपये तक का ऋण भी दिया जा सके। मेरा निवेदन है कि यह खंड मौलिक अवश्य है परन्तु है बहुत सरल और साधारण। खंड १४, १८, १९ और २० के बारे में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम का अनुसरण किया गया है। यद्यपि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम पर आधारित था, परन्तु प्रवर समिति ने उन खंडों में परिवर्तन किये थे और हम ने उसमें से नक़ल कर ली है अन्य कुछ खंड हम ने शोलापुर स्पिनिंग और वीविंग मिल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम से लिये हैं। हमने यह अधिकार लिये हैं कि यदि अंशांश देने में कोई गड़बड़ हो, यदि और अधिक प्रतीक्षा करना औद्योगिक वित्त निगम के हक़ में नहीं हो तो यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक वित्त उस कम्पनी को ले सकता है, यह उपबन्ध धारा २८ में था परन्तु उसे चलाया कैसे जाये? यह काम बहुत कुशलतापूर्वक होना चाहिये। हम ने ३०-क से ३०-ङ तक की नई धाराओं का उपबन्ध किया है। यह धारायें कम्पनी अधिनियम की कुछेक धाराओं को वृथा करती हैं क्योंकि आखिर निगम जो रुपया उधार देगा उसकी सरकार गारंटी करेगी और भारत सरकार इस बात के लिये सावधान है कि इन ऋणों में एक पैसे का भी नुक़सान

[श्री एम० सी० शाह]

न हो । यही कारण है कि हमने इन खंडों का उपबन्ध किया है । यदि कोई छोटे मोटे संशोधन आवश्यक हों तो हम उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । यह एक साधारण सा विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि सदन उक्त विचारार्थ प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

एक माननीय सदस्य: दूसरे खंड भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी बहुत समय है । विधेयक पर बहस समाप्त नहीं हुई है । श्री गुरुपादस्वामी ने एक संशोधन रखा है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

प्रश्न है :

> "कि विधेयक को डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी, श्री उपाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी, कुमारी एनी मस्करीन, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री सी० आर० बासप्पा, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री अरुण चन्द्र गुहा, श्री ए० वी० टामस, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, डा० लंका सुन्दरम, श्री सारंगधर दास, श्री राधेलाल व्यास, श्री दौलत मल भंडारी, श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर, श्री हरि विनायक पाटसकर, श्री टी० आर० नेस्वी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री जयपाल सिंह, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री एम० सी० शाह, श्री पी० एन० राजभोज, श्री शिवमूर्ति स्वामी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन ३० जनवरी, १९५३ तक उपस्थित करने का निदेश दिया जाये ।"

सदन में मत विभाजन हुआ: पक्ष में ५१, विपक्ष में १५६ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपध्यक्ष महोदय: अब मैं सदन के समक्ष मतदान के लिये मुख्य प्रस्ताव रखूंगा :

प्रश्न है :

> "कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।